रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2009/भाद्र 9, 1931
No. 165] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2009/BHADRA 9, 1931

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2009

सं. फा. 51-1/2009-राअशिप (मा तथा मा).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के खंड 32 के उप-खंड (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् [मान्यता, मानदंड और क्रियाविधियां] विनियम, 2007 को प्रतिस्थापित करते हुए निम्न विनियम बनाती है, यथा :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता और प्रवर्तन

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग की दृष्टि से अन्यथा अभिप्रेत न हो यहां प्रयुक्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जोकि उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता, नए कार्यक्रम की शुरूआत तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा तत्संबंधी विषयों के लिए मानदंडों और मानकों को कवर करते हुए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे।

4. पात्रता

निम्न श्रेणियों के संस्थान इन विनियमों के अधीन अपने आवेदन-पत्रों पर विचार कराए जाने के लिए पात्र हैं :—

(1) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन स्थापित संस्थान;

(2) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्त पोषित संस्थान;

(3) सभी विश्वविद्यालय, जिनमें सम-विश्वविद्यालय के रूप में स्थिति अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन इस प्रकार मान्यताप्रदत्त अथवा घोषित संस्थान शामिल हैं;

(4) उपयुक्त विधि के अधीन पंजीकृत 'अलाभकारी' सोसायटियों और न्यासों द्वारा स्थापित तथा संचालित स्व-वित्तपोषी शैक्षिक संस्थान

966

5. **आवेदन-पत्र तैयार करने का तरीका और समय-सीमा**

(1) विनियम 4, के अधीन पात्र और अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने का इच्छुक संस्थान मान्यता के लिए आवेदन-पत्र, तीन प्रतियों में प्रक्रिया शुल्क और आवश्यक कागजात सहित राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) निर्धारित फार्म राअशिप की वेबसाइट www.ncte-india-org से डाउनलोड किया जा सकता है।

(3) आवेदन-पत्र प्रक्रिया शुल्क सहित अनिवार्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध आनलाइन विधि से इलेक्ट्रानिक ढंग से प्रस्तुत किए जाएं। तथापि, आनलाइन पद्धति से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय, आवेदन की आनलाइन प्रस्तुति के तत्काल बाद आवेदन-पत्र तथा अपेक्षित दस्तावेज, तीन प्रतियों में संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय में अलग से प्रस्तुत किए जाएंगे अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजे जाएंगे।

आनलाइन आवेदन करने वाले संस्थानों को फार्म के लिए भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

(4) सभी दृष्टियों से पूरी तरह भरे हुए आवेदन-पत्र जिस शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता मांगी जा रही है उससे पिछले वर्ष में सितंबर के पहले दिन से लेकर अक्तूबर के 31वें दिन तक की अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रीय समिति में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

आगे यह शर्त और है कि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख की शर्त अध्यापक शिक्षा के किसी ऐसे नवाचारी कार्यक्रम के मामले में लागू नहीं होगी जिसके लिए राअशिप द्वारा अलग से मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं।

(5) वर्ष में अक्तूबर के 31वें दिन को या इससे पूर्व प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर अगले शैक्षणिक सत्र के लिए कार्रवाई की जाएगी और प्रदान की गई अथवा नामंजूर की गई मान्यता के रूप में अंतिम निर्णय आगामी वर्ष की मई के 15वें दिन या उससे पूर्व प्रार्थी संस्थान को सूचित कर दिया जाएगा।

6. **प्रक्रिया शुल्क:-**

कोई अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने अथवा कार्यक्रम में अथवा किसी मौजूदा कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने के लिए मान्यता की मंजूरी से संबंधित आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए प्रार्थी संस्थानों द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप नियमावली, 1997 के नियम 9 के अधीन यथानिर्धारित प्रक्रिया शुल्क सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में तथा उस शहर में जिसमें संबंधित क्षेत्रीय समिति स्थित है देय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनाए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। प्रार्थी संस्थान अपना प्रक्रिया शुल्क राअशिप द्वारा अधिसूचित नामित बैंकों में आनलाइन भी जमा करा सकते हैं।

7. **आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई**

(1) प्रार्थी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि आनलाइन पर प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र तथा नीचे निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों की हार्डकापी सहित सभी दृष्टियों से पूरे हों। तथापि, प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में अनजाने में किसी भूल अथवा कमी रह जाने के मामले में क्षेत्रीय समिति का कार्यालय आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इन कमियों की

सूचना देगा और प्रार्थी संस्थान कमियों की, यदि कोई हो तो सूचना देने वाले पत्र की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर उन कमियों को दूर कर देगा।

i. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र-तीन प्रतियों में;

ii. समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप नियमावली, 1997 के नियम 9 के अधीन यथाउपबंधित प्रक्रिया शुल्क;

iii. स्थायी निधि तथा आरक्षित निधियों के लिए क्रमशः 5.00 लाख रुपए और 3.00 लाख रुपए की सावधि जमा रसीद;

iv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि के पंजीकरण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति;

v. सक्षम सिविल प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान;

vi. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि प्रयोग में बदलाव के प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति;

vii. ओथ कमिशनर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के स्टांप पेपर पर निर्धारित फार्म में शपथ-पत्र जिसमें भूमि की वास्तविक स्थिति (गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में समग्र क्षेत्र, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात स्वामित्व या पट्टा का वर्णन किया गया हो।

(1 ए) आनलाइन प्रस्तुत किए गए ऐसे आवेदन-पत्र जिनके बाद में ऊपर (i) से लेकर (vii) तक निर्दिष्ट दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रीकृत डाक अथवा दस्ती तौर पर 7 दिन के भीतर आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता उसे अधूरा माना जाएगा और उसे लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए नामंजूर कर दिया जाएगा तथा आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रक्रिया शुल्क सहित प्रार्थी संस्थान को लौटा दिया जाएगा।

(1 बी) आवेदन-पत्र में कोई गलत जानकारी देने या ऐसे तथ्यों को छिपाने जिनका निर्णय लेने की प्रक्रिया अथवा मान्यता प्रदान करने से संबंधित निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके फलस्वरूप प्रबंधक वर्ग के खिलाफ अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है, मान्यता रद्द किए जाने संबंधी आदेश, संस्थान को कारण बताओ नोटिस के माध्यम से उसे सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद पारित किया जाएगा।

(2) क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा संस्थान (संस्थानों) द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति सहित, आवेदन-पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, क्षेत्रीय समिति में प्राप्त मूल आवेदन-पत्र की प्राप्ति के कालक्रमानुसार एक लिखित पत्र संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित प्रशासन को भेजा जाएगा।

(3) पत्र प्राप्त होने पर संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन संबंधित क्षेत्रीय समिति के कार्यालय के आवेदन पत्रों पर राज्य सरकार को पत्र जारी किए जाने की तारीख के 45 दिन के भीतर अपनी सिफारिशें अथवा टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र मान्यता दिए जाने के पक्ष में नहीं है तो वह आवश्यक आंकड़ों सहित विस्तृत कारणों अथवा आधार प्रस्तुत करेगा। जिन पर संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा आवेदन-पत्र का निपटान करते समय विचार किया जाएगा।

(4) यदि राज्य सरकार की सिफारिश राज्य सरकार को जारी किए गए पत्र की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित क्षेत्रीय समिति राज्य सरकार को एक स्मरण-पत्र भेजेगी जिसमें प्रस्ताव के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार को स्मरण पत्र जारी

968

किए जाने की तारीख से 30 दिन का और समय दिया जाएगा। इसके बाद इस अवधि की समाप्ति के पश्चात राज्य सरकार की सिफारिश सहित यदि प्राप्त हुई हो तो इस मामले को क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की कार्रवाई को राज्य सरकार से टिप्पणियां अथवा सिफारिशें प्राप्त न होने के आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार की सिफारिशों अथवा स्वयं अपने गुणदोष के आधार पर विचार करने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति इस आशय का निर्णय लेगी कि क्या विशेषज्ञों के एक दल द्वारा, जिसे निरीक्षण दल कहा जाएगा संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में संस्थान की तत्परता के स्तर का जायजा लिया जा सके। ऐसा निरीक्षण संस्थान की सहमति के अध्यधीन नहीं होगा, बल्कि निरीक्षण कराए जाने का क्षेत्रीय समिति का निर्णय इस मिदेश के साथ संस्थान को सूचित किया जाएगा कि क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र की तारीख के 10 दिन बाद किसी भी दिन संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा। क्षेत्रीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसा निरीक्षण संस्थान को भेजे गए उसके पत्र की तारीख के सामान्यतः 30 दिन के भीतर कर लिया जाए। संस्थान से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को राअशिप की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रपत्र में विधिवत रूप से भरकर सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा जारी किए गए भवन पूर्ति प्रमाण-पत्र सहित, यदि वह पहले प्रस्तुत न किया गया हो आधारिक सुविधाओं से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

क्षेत्रीय समिति ऐसे निरीक्षणों का आयोजन निरीक्षण के लिए समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति की तारीख के सर्वथा कालक्रमानुसार करेगी।

निरीक्षण के लिए निरीक्षण दल के सदस्यों का निर्णय क्षेत्रीय समिति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल में से तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की निरीक्षण दल की नीति के अनुसार किया जाएगा।

(5) विशेषज्ञों के दल द्वारा संस्थान के निरीक्षण के समय संबंधित संस्थान निरीक्षण की इस ढंग से वीडियोग्राफी की व्यवस्था करेगा कि सभी महत्वपूर्ण आधारिक और अनुदेशात्मक सुविधाएं तथा प्रबंधक वर्ग और संकाय के साथ वैचारिक आदान-प्रदान वीडियोग्राफ किया जाए, यदि वह ऐसे निरीक्षण के समय उपलब्ध हो। जहां तक संभव होगा निरीक्षण दल उसी दिन वीडियोटेपों सहित अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप देगा और उसे कूरियर कर देगा।

शर्त यह है कि वीडियोग्राफी भवन, उसके पास-पड़ौस, पहुंच मार्ग तथा क्लासरूमों, प्रयोगशालाओं, संसाधन कक्षों, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय आदि सहित महत्वपूर्ण आधारिक सुविधाओं का बाहरी दृश्य प्रस्तुत करेगी। निरीक्षण दल यह सुनिश्चित करेगा कि वीडियोग्राफी सतत रूप में की जाए। वीडियोग्राफी की अंतिम असंपादित प्रति रिकार्डिंग के तत्काल बाद उनके सुपुर्द कर दी जाए और सीडी के रूप में इसका रूपांतरण निरीक्षण दल सदस्यों की उपस्थिति में किया जाए।

आगे यह भी शर्त है कि नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल ऐसे मौजूदा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए, जिनके संबंध में राअशिप ने मान्यता प्रदान कर रखी है, सुविधाओं का सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के संबंध में विनियमों और मानदंडों तथा मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण की बाबत पता करेगा।

(6) आवेदन-पत्र और निरीक्षण दल की वीडियोटेपों अथवा सीडी आदि सहित रिपोर्ट विचार किए जाने और उपयुक्त निर्णय लिए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

969

(7) किसी संस्थान को मान्यता प्रदान करने अथवा अनुमति दिए जाने के बारे में क्षेत्रीय समिति इस संबंध में अपनी संतुष्टि करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी कि संस्थान एनसीटीई अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अधीन राअशिप द्वारा निर्धारित सभी शर्तें जिनमें संबंधित अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंड और मानक शामिल हैं की पूर्ति करता है।

(8) मान्यता प्रदान करने के मामले में क्षेत्रीय समितियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993, समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नियमावली, 1997 तथा राअशिप अधिनियम, 1993 के अधीन बनाए गए विनियमों जिनमें विभिन्न शिक्षा अध्यापक कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक शामिल हैं, की सीमा के भीतर कठोरता से कार्रवाई करेगी और उनके संबंध में किसी तरह की ढील नहीं बरतेगी। क्षेत्रीय निदेशक, जोकि क्षेत्रीय समितियों के संयोजक होते हैं, क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि राअशिप अधिनियम, नियमावली और विनियमों के, जिनमें विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानदंड और मानक शामिल हैं संगत प्रावधान क्षेत्रीय समिति की जानकारी में ला दिए जाएं जिससे कि क्षेत्रीय समिति उपयुक्त निर्णय ले सके।

(9) संबंधित संस्थान को शैक्षणिक सत्र के शुरू किए जाने से पहले अर्हताप्राप्त संकाय सदस्यों की नियुक्ति के अध्यधीन एक आशय-पत्र के माध्यम से मान्यता अथवा अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में सूचित किया जाएगा। इस खंड के अधीन जारी किया गया आशय-पत्र राजपत्र में अधिसूचित नहीं किया जाएगा बल्कि संस्थान तथा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय को इस अनुरोध के साथ भेजा जाएगा कि राज्य सरकार अथवा यूजीसी अथवा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार योग्य स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए तथा संस्थान को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायता प्रदान की जाए कि राअशिप के मानदंडों के अनुसार स्टाफ अथवा संकाय की नियुक्ति दो महीने के भीतर कर ली जाए। संस्थान संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथाअनुमोदित संकाय की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।

(10)(i) सभी प्रार्थी संस्थान क्षेत्रीय समिति से उपविनियम (9) के अधीन यथाउपबंधित आशय-पत्र की प्राप्ति के तत्काल बाद राअशिप और तदनुरूपी क्षेत्रीय समिति की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक सहित स्वयं अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संस्थान, इसके स्थान, जिस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम तथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, भूमि, भवन, कार्यालय, क्लासरूमों जैसी भौतिक सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं अथवा साधनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसी अनुदेशात्मक सुविधाओं तथा उनके प्रस्तावित शिक्षण तथा गैर शिक्षण स्टाफ आदि के फोटोग्राफ सहित, ब्यौरे, अध्यापक प्रशिक्षकों की पैन-संख्या अथवा विशिष्ट पहचान संख्या जहां कहीं इस तरह की संख्या राअशिप द्वारा जारी की गई हो, सभी संबंधितों की जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। निम्न से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी:

(क) संस्थान में वार्षिक आधार पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या सहित स्वीकृत कार्यक्रम।

(ख) संकाय और स्टाफ के पूरे नाम, जिस रूप में उनका उल्लेख स्कूल प्रमाण पत्र में किया गया हो साथ ही उनके अर्हताएं और वेतनमान एंवम फोटोग्राफ।

(ग) ऐसे संकाय सदस्यों के नाम जिन्होंने पिछली तिमाही में संस्थान छोड़ दिया हो अथवा संस्थान में कार्यभार संभाला हो।

970

(घ) मौजूदा सत्र में दाखिल किए गए छात्रों की अर्हता, अर्हक परीक्षा अथवा प्रवेश परीक्षा में यदि कोई हुई हो तो अंकों की प्रतिशतता सहित उनके नाम, दाखिले की तारीख आदि।

(ड.) छात्रों से ली गई फीस।

(च) उपलब्ध आधारिक सुविधाएं।

(छ) पिछली तिमाही में जोड़ी गईं सुविधाएं।

(ज) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, मंगाई जाने वाली पत्रिकाओं की संख्या तथा पिछली तिमाही में वृद्धियां यदि कोई हुई हों तो।

(झ) संस्थान यदि चाहे तो अतिरिक्त संगत जानकारी प्रदर्शित कर सकता है।

(ii) वेबसाइट पर कोई गलत या अधूरी जानकारी देने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

(11) उपविनियम (9) के प्रावधानों के अनुसार तथा उपविनियम (10) के अधीन शर्तों की पूर्ति करने पर अपेक्षित संकाय अथवा स्टाफ की नियुक्ति कर लेने के बाद संबंधित संस्थान संबंधित क्षेत्रीय समिति को औपचारिक रूप से यह सूचित कर देगा कि राअशिप के मानदंडों के अनुसार संकाय की नियुक्ति कर ली गई है और उसे संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। संस्थान द्वारा यह प्रमाणित करने वाले दस्तावेज सहित कि स्थायी निधि तथा आरक्षित निधि के एफडीआर को संयुक्त लेखे में बदला जा चुका है, संकाय के चयन अथवा नियुक्ति के लिए अनुमोदन मंजूर करने वाला पत्र भी क्षेत्रीय समिति को भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति मान्यता का एक औपचारिक आदेश जारी करेगी जोकि राअशिप अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(12) जिन मामलों में क्षेत्रीय समिति निरीक्षण दल की रिपोर्ट तथा रिकार्ड पर उपलब्ध अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद इस मत की हो कि संस्थान पाठ्यक्रम शुरू अथवा आयोजित करने अथवा दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के संवर्द्धन के लिए अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो ऐसे संस्थान को कमियां दूर करने अथवा निरीक्षण के लिए कोई और मौका प्रदान नहीं किया जाएगा तथा क्षेत्रीय समिति का निर्णय अंतिम होगा जिसके विरुद्ध संस्थान राअशिप अधिनियम के खंड 18 के अधीन अपील दायर कर सकता है।

(13) निरीक्षण दल विशेषज्ञों के नामों सहित संस्थानों की निरीक्षण रिपोर्टें उनके ऊपर क्षेत्रीय समिति द्वारा विचार कर लिए जाने के बाद संबंधित क्षेत्रीय समिति की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

8. **मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तें**

(1) अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संस्थान को राअशिप द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों और मानकों से संबंधित सभी निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक आधारिक सुविधाओं, शिक्षण और गैर-शिक्षण कार्मिकों सहित अर्हताप्राप्त स्टाफ आदि से संबंधित स्थितियां शामिल होंगी।

(2) शुरू में संस्थान के मामले पर विशेष अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित बुनियादी इकाई के लिए केवल एक पाठ्यक्रम के संबंध में मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

971

(3) संस्थान, संबंधित पाठ्यक्रम के तीन शैक्षणिक सत्र पूरा कर लेने के बाद किसी अतिरिक्त पाठ्यक्रम की केवल एक बुनियादी इकाई के लिए अथवा मौजूदा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम की किसी अतिरिक्त इकाई के लिए आवेदन कर सकता है जिसके संबंध में संस्थान तीन शैक्षणिक सत्रों की समाप्ति के बाद परवर्ती वर्ष में आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित तयशुदा तारीख से पूर्व आवेदन-पत्र जमा कराएगा। किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या सभी पाठ्यक्रमों पर विचार करते हुए, साथ ही दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में 300 से अधिक नहीं होगी।

(4) किसी संस्थान को शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर के नए पाठ्यक्रम के लिए तथा शिक्षा में स्नातक, शारीरिक शिक्षा में स्नातक, शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन करने की अनुमति तभी होगी जबकि उसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा कम से कम ग्रेड बी के रूप में प्रत्यायित किया जा चुका हो।

(5) जिस संस्थान को विनियम, 2005 अर्थात 2006 की जनवरी के 13वें दिन के प्रख्यापन के बाद शिक्षा में स्नातक तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि मंजूर की गई है, उन्हें अपने आपको राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) के साथ 2010 की अप्रैल के पहले दिन या इससे पहले एनएएसी द्वारा तैयार की गई नई क्रम-निर्धारण प्रणाली के अधीन ग्रेड बी सहित प्रत्यायन कराना होगा अन्यथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में जो वृद्धि मंजूर की गई है वह शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से समाप्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर पाठ्यक्रम चलाने वाले सभी संस्थानों को 1 अप्रैल, 2012 को या इससे पहले कम से कम ग्रेड बी के रूप में एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त करना होगा जिसके न किए जाने की स्थिति में संस्थानों को प्रदान की गई शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2012-13 से समाप्त समझ ली जाएगी।

(6) शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर पाठ्यक्रमों के लिए और शिक्षा में मास्टर तथा शारीरिक शिक्षा में मास्टर में दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए इन विनियमों के लागू होने की तारीख को या उससे पूर्व प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों पर दिनांक 10 दिसंबर, 2007 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधियां) विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। तथापि, उपविनियम (5) के प्रावधान उनके मामले में भी लागू होंगे।

(7)(i) इन विनियमों के अधीन किसी भी संस्थान को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान का प्रायोजन करने वाले संस्थान अथवा सोसायटी के पास आवेदन की तारीख को आवश्यक भूमि का कब्जा न हो। सभी प्रकार के ऋण-भार से मुक्त इस तरह की भूमि या तो मालिकाना आधार पर या किसी सरकार अथवा सरकारी संस्थान से कम से कम 30 वर्ष के पट्टे पर होनी चाहिए। जिन मामलों में संबंधित राज्य अथवा संघशासित प्रशासन विधियों के अधीन अधिकतम अनुमत्य अवधि 30 वर्षों से कम हो, उनमें राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की विधि लागू होगी। तथापि कोई भी भवन किसी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए पट्टे पर नहीं लिया जाएगा।

9772

(ii) संस्थान का प्रायोजन करने वाली सोसायटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा संस्थान के पास मानदंडों द्वारा यथानिर्धारित एक भलीभांति सीमांकित भू-क्षेत्र हो। अध्यापक शिक्षा संस्थान को अपने सीमांकित क्षेत्र अथवा भवन के भीतर कोई और संस्थान रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वह इस भवन में कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा।

(iii) इसी तरह से शारीरिक शिक्षा संस्थान से भी यह अपेक्षा की जाती है कि उसके पास एक अलग सीमांकित क्षेत्र/भवन होगा और वह इस क्षेत्र अथवा भवन में अन्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों सहित कोई अन्य पाठ्यक्रम नहीं चलाया जाएगा।

(iv) संस्थान का प्रायोजन करने वाली सोसायटी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विनियम 7 के उपविनियम (11) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश जारी किए जाने की तारीख के 6 महीने के भीतर भूमि तथा भवन का स्वामित्व संस्थान के नाम अंतरित कर देगी और संस्थान को प्रदान कर देगी। तथापि, यदि सोसायटी स्थानीय विधियों अथवा नियमों अथवा उप-विधियों के अधीन ऐसा करने में असफल रहती है तो वह ऐसा करने में दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपनी असमर्थता लिखित रूप में सूचित कर देगी। क्षेत्रीय कार्यालय इस तरह की जानकारी को अपने रिकार्ड में रखेगा और उसे अनुमोदन के लिए क्षेत्रीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(8) संस्थान अथवा सोसायटी ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित 100 रुपए के पक्के कागज पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें इन बातों का वर्णन होगाः भूमि का वास्तविक स्थान (खसरा नंबर, गांव, जिला, राज्य आदि), कब्जे में कुल क्षेत्र और भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति, कब्जे की विधि अर्थात मालिकाना या पट्टा। सरकारी संस्थानों के मामले में इस तरह का शपथ-पत्र संस्थान के प्रिंसीपल अथवा अध्यक्ष या किसी अन्य उच्चतर प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस तरह के शपथ-पत्र के साथ-साथ पंजीकरण अधिकारी अथवा सिविल अधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि के स्वामित्व अथवा पट्टे संबंधी दस्तावेज की, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के वास्ते सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की तथा इन विनियमों के विनियम 7(1)(vi) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित बिल्डिंग भवन के नक्शे की सत्यापित प्रति संलग्न की जाएगी।

(9) संस्थान द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति अपनी सरकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि शपथ-पत्र में दी गई बातें गलत या झूठी पाई जाएंगी तो संबंधित सोसायटी अथवा न्यास अथवा संस्थान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा अन्य संगत नियमों के संगत प्रावधानों के अधीन सिविल और दांडिक कार्रवाई की जा सकेगी और संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है।

(10) निरीक्षण के समय संस्थान का भवन विनियम 8 के उपविनियम (7) के अर्थों में संस्थान के कब्जे की भूमि पर एक स्थायी ढांचे के रूप में होगा जोकि सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं से सुसज्जित होगा और मानदंडों और मानकों में यथानिर्धारित सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा। प्रार्थी संस्थान सक्षम सरकारी प्राधिकारी अथवा स्थानीय निकाय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल समापन प्रमाण पत्र, भवन तथा निर्मित क्षेत्र के समापन के प्रमाण के रूप में अनुमोदित भवन का नक्शा तथा अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए निरीक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्थान में किसी भी अस्थायी ढांचे अथवा एसबेस्टास की छत की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वह निर्धारित निर्मित क्षेत्र के अलावा हो।

973

इसके अलावा नए पाठ्यक्रम अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल, जिन मौजूदा अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है उनके लिए भी सुविधाओं का सत्यापन करेगा और साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए विनियमों तथा मानदंडों और मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण के बारे में भी पता लगाएगा।

(11) परिसर के बदलाव की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय समिति का पूर्व अनुमोदन जरूरी होगा जोकि नए स्थल पर संस्थान के विधिवत निरीक्षण के बाद प्रदान किया जाएगा। संस्थान द्वारा परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र निर्दिष्ट प्रपत्र में, तीन प्रतियों में, अन्य संगत दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि परिसर के बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इस तरह के बदलाव की अनुमति ऐसे स्थल के बारे में दी जा सकेगी जिसके बारे में शुरू में आवेदन किए जाने की स्थिति में वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार संस्थान की स्थापना के लिए पात्र समझा जा सकता हो।

इसके बाद इस तरह के बदलाव को वेबसाइट पर दर्शाया जाना चाहिए। परिसर में बदलाव के लिए आवेदन-पत्र के साथ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नाम बनाया गया और जिस शहर में क्षेत्रीय समिति स्थित है, उस शहर में देय 40000 रुपए (अथवा समय-समय पर यथासंशोधित) का राष्ट्रीकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना चाहिए। इस शुल्क का भुगतान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा नामित बैंक में आनलाइन भी किया जा सकता है।

(12) विश्वविद्यालय अथवा परीक्षण निकाय के विनियम 7 के उपविनियम (11) के अधीन औपचारिक मान्यता आदेश के जारी किए जाने के बाद ही संबंधन प्रदान करेगा। इसके अलावा संस्थान द्वारा दाखिले केवल विश्वविद्यालय अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा संबंधन प्रदान किए जाने के बाद और राज्य की नीति के अनुसार ही किए जाएंगे।

(13) जहां कहीं अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए मानदंडों और मानकों में बदलाव हो वहां संस्थान संशोधित मानदंडों और मानकों में निर्धारित अपेक्षाओं की, तत्काल लेकिन संशोधित मानदंडों के लागू किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर पूर्ति करेगा। तथापि, मौजूदा संस्थानों के मामले में संशोधित भूमि-क्षेत्र संबंधी मानदंड लागू नहीं होंगे, यदि ऐसा संभव नहीं है किंतु संशोधित मानदंडों के अनुरूप बने रहने के लिए उन्हें अपेक्षित निर्मित क्षेत्र बढ़ाना होगा। तथापि ऐसे संस्थानों के मामले में जिनके पास संशोधित मानदंडों के अनुसार भूमि-क्षेत्र नहीं हैं उन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रमों अथवा दाखिल किए जाने वाले छात्रों में वृद्धि के रूप में विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(14) संस्थान अपेक्षा किए जाने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत अथवा दिखा न सकने को मान्यता की शर्तों के एक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा।

(15) संस्थान ऐसे रिकार्ड अथवा रजिस्टर तथा अन्य कागजात आदि रखेगा जोकि ऐसे शैक्षणिक संस्थान को चलाने के लिए जरूरी हों, विशेष रूप से जो केंद्रीय अथवा राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र सरकारों, संबंधन प्रदान करने वाले/परीक्षण निकायों के संगत मानदंडों और मानकों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा अनुदेशों अथवा नियमावली आदि में निर्धारित किए गए हों।

(16) संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन तथा अपने सरकारी वेबसाइट में अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करने का पालन करेगा।

974

9. परिशिष्ट 1 से 13 तक में यथानिर्दिष्ट विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे मानदंड और मानक जिनका उपर्युक्त पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान द्वारा पालन किया जाना जरूरी है नीचे बताए अनुसार हैं, यथाः-

(i)	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डीईसीईडी) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-1
(ii)	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-2
(iii)	प्रारंभिक शिक्षा मे स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-3
(iv)	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-4
(v)	शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-5
(vi)	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएड) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-6
(vii)	शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-7
(viii)	शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-8
(ix)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-9
(x)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बीएड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-10
(xi)	मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में मास्टर डिग्री (एमएड) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट-11
(xii)	कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएँ) में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए	परिशिष्ट-12

975

(xiii)	मानदंड और मानक कला शिक्षा (निष्पादन कलाएँ) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (निष्पादन कलाएँ) में डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक	परिशिष्ट 13

10. वित्तीय प्रबंध

(1) स्व-वित्तपोषण आधार पर पाठ्यक्रम चलाने वाले सरकारी अथवा सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों सहित स्व-वित्तपोषित संस्थान के मामले में प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए पांच लाख रुपए की स्थायी निधि और दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमोदित संख्या के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के लिए तीन लाख रुपए की आरक्षित निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक वर्ष की अवधि की सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी जिसे संस्थान को विनियम 7 के उपबंध 9 के अंतर्गत जारी किए गए लैटर ऑफ इन्टेंट जारी किए जाने की स्थिति में प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा रसीद के रूप में बदल दिया जाएगा और उसे उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष के अंतरालों पर सावधि जमा के नवीकरण के रूप में निरंतर रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधी सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन आदाता के नाम देय चेक के माध्यम से अथवा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार प्रदान किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन, ईपीएफ के भुगतान का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके ब्यौरे स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सनदी लेखाकर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण रखे जाएंगे और वर्ष के सितंबर के 30वें दिन तक अपने औपचारिक वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।

1. वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र।
2. वित्तीय वर्ष का लाभ और हानि लेखा।
3. वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा।

11. शैक्षणिक कैलेंडर

(i) संबंधन प्रदान करने वाले निकाय के लिए इन विनियमों में परिशिष्ट 1 से लेकर 13 तक सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र शुरू होने से कम से कम तीन महीने पहले निम्न विवरण प्रस्तुत करके तथा उनके संबंध में समुचित प्रचार करके समय-सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर निर्धारित करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया का विनियमन करना जरूरी होगा:

(क) दाखिले के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख।

(ख) प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तारीख।

976

(ग) चयन परीक्षा अथवा इंटरव्यू की तारीख।

(घ) उम्मीदवारों की पहली, दूसरी और तीसरी सूची के प्रकाशन की तारीख तथा दाखिलों की समाप्ति की अंतिम तारीख।

(ii) यह समूची प्रक्रिया दाखिले की सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। संबंधन प्रदान करने वाला निकाय उसके द्वारा अधिसूचित समय-सूची अथवा शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करेगा। दाखिले की समाप्ति के बाद प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित संबंधन प्रदान करने वाले अथवा परीक्षा निकायों को दाखिले की समाप्ति की अंतिम तारीख से दो दिनों के भीतर दाखिल छात्रों की सूची प्रस्तुत करेगा जोकि संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।

12. ढील देने का अधिकार

संबंधित राज्य सरकार अथवा संघशासित क्षेत्र प्रशासन की सिफारिशों पर अथवा केवल इन विनियमों के प्रावधानों का पालन करने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए उक्त राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संबंधित राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र में संस्थानों की किसी एक श्रेणी या वर्ग के बारे में इन विनियमों के प्रावधानों में ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ढील देने के लिए सक्षम होंगे जोकि ढील देने वाले आदेश में निर्दिष्ट की जाएंगी। तथापि, अपवादात्मक मामलों में अथवा कारणों को लिखित रूप में निर्दिष्ट करने पर अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को परिषद् द्वारा संपुष्टि किए जाने के अध्यधीन, किसी सरकारी संस्थान के मामले में विनियमों और संबंधित मानदंडों और मानकों के प्रावधानों में ढील देने का अधिकार प्राप्त है।

13. विनियमों का निरसन

(1) 2007 के दिसंबर के 10वें दिन को संख्या 231 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 27 नवंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या फा 51-1/2007/एनसीटीई/ के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियमन, 2007 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) जनवरी, 2006 के 25वें दिन संख्या 12 के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित में दिनांक 28 दिसंबर, 2005 की अधिसूचना संख्या फा 49-29/2005/एनसीटीई(एन तथा एस) के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (डिग्री स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित अर्हताओं में ढील के लिए मानदंड) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(3) उपर्युक्त विनियमों का निरसन इस प्रकार निरसित किए गए किसी विनियम के पूर्व प्रचालन अथवा उसके अधीन की गई किसी भी कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगा।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/131/09-असा.]

977

परिशिष्ट - 1

प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डी.ई.सी.एड.) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

प्रस्तावना

(1) प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा-ईसीई जिसमें प्राथमिक शिक्षा की कक्षा 1 और 2 शामिल हैं, विशेष रूप से बच्चे की भाषा, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। साथ ही यह शिक्षा बाद के वर्षों में बच्चे की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए भी मजबूत समर्थन प्रदान करती है।ईसीई का उद्देश्य एक ऐसे अधिगम वातावरण में जोकि आनन्दपूर्ण, बाल-केन्द्रित, खेल और क्रियाकलाप आधारित हो बच्चे का समग्र विकास करना है। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चों पर तीन आर (पढ़ना, लिखना और गणित) बोझ न लादा जाए और कोई भी पाठ्यक्रम परीक्षाएं, इन्टरव्यू, गृहकार्य, प्रतियोगी खेलकूद तथा अन्य ऐसे नेमी स्कूल जैसे क्रियाकलाप न आयोजित किए जाएं।

(2) **प्रयोज्यता**

आगे दिए गए मानदण्ड और मानक नितान्ततः पूर्व प्राथमिक अथवा स्कूल-पूर्व अथवा नर्सरी (जिस रूप में आमतौर पर विख्यात है) स्तरों के अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले संस्थानों के मामले में लागू होंगे।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

स्कूल-पूर्व/नर्सरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन पूर्व स्कूलों में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के रूप में होंगे।

(ख) संस्थान 5 अथवा 6 दिन के सप्ताह में कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। संस्थान पारियों में (सवेरे अथवा दोपहरबाद) काम नहीं करेगा।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

(1) प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

978

(1) **पात्रता**

(i) उच्च माध्यमिक (+ 2) अथवा इसके समकक्षा परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(क) संख्या (50 छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए) अर्थात दो वर्षों में सौ छात्रों के लिए

(ख) दाखिल किए जाने वाले 50 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त स्टाफ में 5 लेक्चरर, 1 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और 1 कार्यालय सहायक शामिल होंगे।

(II) **अर्हताएं**

(i) **प्रिंसीपलः**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित नीचे दिए अनुसार होंगी; तथा

(ख) प्रारंभिक शिक्षा संस्थान में पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव।

(ii) **ईसीई में लेक्चररः 3 पद**

(ए) **अनिवार्य**

979

बाल विकास में विशेषज्ञता सहित बाल विकास अथवा गृह विज्ञान में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर

अथवा

(i) शिक्षा में अथवा किसी स्कूल विषय में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा

(ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था/नर्सरी/प्रारंभिक शिक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता।

(iii) कला में लेक्चरर (ललित कलाएं तथा निष्पादन कलाएं) - एक

अनिवार्य

ललित कलाओं अथवा संगीत/नृत्य में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य अर्हता

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक - एक

अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बीपीएड)

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

टिप्पणी: कम से कम एक लेक्चरर के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में औपचारिक अर्हता होनी चाहिए।

(III) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

पुस्तकालयाध्यक्ष एक (पूर्णकालिक)

(ख) अर्हता

50 प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री

(IV) प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक एक (नियमित)

980

(ii) कम्प्यूटर प्रचालक-सह-स्टोरकीपर एक (नियमित)

(iii) सहायक दो (नियमित)

(ख) अर्हताएं

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

(V) सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिंफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान, आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धकवर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो, के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 **सुविधाएं**

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) संस्थानों के कब्जे में 50 छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए 1500 वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से 1000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। 50 या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास 500 वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में 500 वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता 300 से अधिक नहीं होगी।

(ख) डी.ई.सी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
डी.ई.सी.एड.	1000 वर्गमीटर	1500
डी.ई.सी.एड. तथा डी.एल.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. और एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. और बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

डी.ई.सी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए 500 वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कम से कम 500 वर्गफुट होगा।

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्र 200 वर्गफुट होगा।

(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय।

(iv) ईटी/आईसीटी के लिए संसाधन केन्द्र।

(v) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(vi) कला तथा कार्य अनुभव/संसाधन केन्द्र।

(vii) शैक्षिक खिलौना कक्ष।

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्ष।

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय।

(xii) बालिकाओं का कामन रूम।

(xiii) कैंटीन।

(xiv) स्टोर रूम (दो)।

982

(xv) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(xvi) अतिथि कक्ष।

(xvii)वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(xviii) लान, बागवानी के क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान।

(xix) स्टोर-रूम तथा बहुप्रयोजन खेल मैदान।

शैक्षणिक स्थान का आकार प्रत्येक छात्र के लिए 10 वर्गफुट से कम नहीं होगा। प्रत्येक क्लासरूम का आकार ऐसा होना चाहिए कि उसमें 50 प्रशिक्षणार्थी-अध्यापक सुविधापूर्वक बैठ सकें।

(घ) समुचित खुला स्थान और साथ ही शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा एथलेटिक्स के लिए इंडोर खेलों की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खेल के मैदान सहित खेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ड.) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(च) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा-रहित होने चाहिए।

(छ) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(ज) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान के लिए प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण सम्बन्धी क्रियाकलापों के वास्ते निकटस्थ स्कूल-पूर्व/ईसीई केन्द्रों का संकुल सुलभ होना चाहिए। यह वांछनीय है कि संस्थान का एक अपना सम्बद्ध नर्सरी स्कूल हो। संस्थान अभ्यास प्रशिक्षण सुविधाएं देने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ख) संस्थान 5.2.1 में बताए अनुसार अधिगम संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिनमें अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अनेक प्रकार की सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें ये शामिल होने चाहिए:

(i) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii)श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, डीवीडी प्लेयर, ओएचपी,

(iv)श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें, माडल,

983

(vi) विकासात्मक मूल्यांकन, पड़ताल सूचियां और मापन साधन,

(vii)फोटोकापी मशीन

(viii)इंटरनेट संयोज्यता सहित यूपीएस और प्रिंटर के साथ 10 पीसी

टिप्पणीः संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(ग) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री

(i) अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां।

(ii) सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्चा माल

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

(iii) श्रव्य दृश्य उपकरण

5.2.2 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रव्य टेपों,स्लाइडों, फिल्में, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

(iv) संगीत वाद्ययंत्र

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

(v) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकों सहित कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं, संस्थान को राअशिप द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं और शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम तीन अन्य पत्रिकाएं मंगानी चाहिए।

(vi) **खेल और खेल-कूद**

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल-कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(3) साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(iv) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(vi) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) संस्थान का परिसर, भवन, सुविधाएं आदि विकलांगों के अनुकूल होनी चाहिए।

6 पाठ्यचर्या संचालन

पाठ्यचर्या संचालन में भूमिका निर्वाह - खेल, प्रश्नोत्तरी, सामग्री निर्माण, परियोजना कार्य, बाल मेला आदि जैसे दृष्टिकोणों और तरीकों पर बल दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा भावी अध्यापकों को एक आनंदपूर्ण वातावरण बनाने में प्रशिक्षित किया जा सके जिससे कि पूर्व स्कूल आयु के बच्चे स्कूली शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा कर सकें।

7 सुविधाओं का आदान-प्रदान तथा दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल संख्या

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा

985

प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों को मिलाकर दाखिल किए जाने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

8 **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

986

परिशिष्ट -2

प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

(1) प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य समुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लैंगिक अंतरालों को पाटने वाले एक समावेशी स्कूल वातावरण में सभी बच्चों की बुनियादी अधिगम जरूरतों को पूरा करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर अर्थात कक्षा I से लेकर VII/VIII तक के लिए अध्यापक तैयार करना है।

(2) प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कई नामों से जाना जाता है जैसेकि बीटीसी, शिक्षा में डिप्लोमा, टीटीसी तथा इसी तरह के अन्य नाम। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण की अवधि और प्रवेश की अर्हताएं एकसमान हैं और इसलिए इस पाठ्यक्रम का नाम सभी राज्यों के बीच एकसमान (डी.एल.एड.) होगा।

2 **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

(2) **कार्य दिवस**

(क) इस कार्यक्रम में, परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि को छोड़कर, कम से कम 200 कार्यदिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन निकटस्थ प्राथमिक स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के निमित्त होंगे।

(ख) संस्थान 5 अथवा 6 दिन के सप्ताह में कम से कम 36 घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रतिवर्ष 50 छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा। तथापि अध्यापक शिक्षा संबंधी केंद्र प्रायोजित स्कीम के अधीन स्वीकृत जिला शिक्षा और प्रौद्योगिकी संस्थानों (डाइट)/जिला संसाधन केंद्रों (डीआरसी) को अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन अधिक से अधिक 200 छात्र दाखिल करने की मंजूरी दी जा सकती है।

(2) **पात्रता**

987

886

(क) उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा उसके समतुल्य परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5% की ढील दी जाएगी।

(3) दाखिले की प्रक्रिया

दाखिले अर्हक परीक्षा में तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में अथवा राज्य सरकार/यूटी प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारें द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) शैक्षणिक

(क) संख्या (दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट और दो वर्षों के लिए 100 छात्रों की संयुक्त संख्या के लिए)

प्रिंसीपल	एक
लेक्चरर	छः

(ख) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त 50 छात्रों के लिए अतिरिक्त स्टाफ में 5 पूर्णकालिक लेक्चरर, 1 पुस्तकालय सहायक और 1 कार्यालय सहायक होंगे। तथापि प्रत्येक मौके पर एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा तथा सभी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

(ग) अध्यापकों की नियुक्ति ऐसे की जाएगी कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रविधि पाठ्यक्रमों और आधारिक पाठ्यक्रमों के लिए विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

(II) अर्हताएं

(i) प्रिंसीपल

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं, तथा

(ख) प्राथमिक अथवा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापक का पांच वर्ष का अनुभव

(ii) लेक्चरर

(क) आधारिक पाठ्यक्रम एक

ए. अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित एमएड./एमएड (प्रारंभिक)

अथवा

55 प्रतिशत अंकों सहित एमएड./एमएड (प्रारंभिक)

अथवा

55 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एमए तथा प्राथमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 55 प्रतिशत अंकों सहित डिप्लोमा/डिग्री

बी. वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता

(ख) प्रविधि पाठ्यक्रम तीन

ए. अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित किसी भी स्कूल शिक्षण विषय में मास्टर की डिग्री तथा 55 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा/प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

बी. वांछनीय

(i) प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री को वरीयता दी जाएगी।

(ii) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग में दक्षता

(ग) ललित कलाओं/निष्पादन कलाओं में लेक्चरर एक

ए. अनिवार्य

ललित कला/संगीत/नृत्य में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर

बी. वांछनीय

शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(घ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक एक

अनिवार्य

55 प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर्स डिग्री (एमपीएड)

989

वांछनीय

ईसीई/शिक्षा में डिग्री

कम से कम एक लेक्चरर के पास निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताओं के अलावा कंप्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग में औपचारिक अर्हता होनी चाहिए।

(ङ.) पुस्तकालयाध्यक्ष एक (पूर्णकालिक)

पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री

(III) **प्रशासनिक स्टाफ**

(क) **संख्या**

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - 1 (नियमित)

(ii) कम्प्यूटर प्रचालक-एवं-स्टोरकीपर - 1 (नियमित)

(ख) **अर्हताएं**

सम्बन्धित राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

(IV) **सेवा की शर्तें और उपबन्ध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

990

5. सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) संस्थानों के कब्जे में 50 छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए 2500 वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से 1500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान. लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। 50 या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास 500 वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। प्रति वर्ष 200 से अधिक तथा 300 तक दाखिल किए जाने वाले छात्रों के लिए उसके कब्जे में 3000 वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जाने वाले 50 छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में 500 वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता 300 से अधिक नहीं होगी। तथापि, शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों की पेशकश एक अलग परिसर में की जाएगी।

(ख) डी.एल.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
डी.एल.एड.	1500 वर्गमीटर	2500
डी.एल.एड. तथा बी.एड.	3000 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा डी.एल.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.एल.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3500 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

डी.एल.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए 500 वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम

(ii) 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल जिसका कुल क्षेत्र 2000 वर्गफुट होगा।

(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय।

991

(iv) ईटी/आईसीटी के लिए संसाधन केन्द्र।

(v) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(vi) कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र।

(vii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(viii) विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र।

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(x) स्टाफ रूम।

(xi) प्रशासनिक कार्यालय।

(xii) स्टोर रूम (दो)।

(xiii) बालिकाओं का कामन रूम।

(xiv) कैंटीन।

(xv) अतिथि कक्ष।

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(xviii) लान, बागवानी के क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान।

(xix) स्टोर-रूम

(xx) बहुप्रयोजन खेल मैदान।

(घ) खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर नियमतः निर्धारित अवधियों के लिए सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(ड.) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(च) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधारहित होने चाहिए।

(छ) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(ज) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

992

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल होने चाहिए। अच्छा हो यदि संस्थान के पास स्वयं एक अपना संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ख) संस्थान 5.1.2 में बताए अनुसार अधिगम संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिनमें अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अनेक प्रकार की सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें ये शामिल होने चाहिए:

(i) पुस्तकें, जर्नल और पत्रिकाएं,

(ii) बच्चों की पुस्तकें,

(iii) श्रव्य-दृश्य सामग्री-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर,

(iv) श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री, वीडियो- श्रव्यटेप, स्लाइडें, फिल्में,

(v) अध्यापन सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें,

(vi) विकासात्मक मूल्यांकन पड़ताल सूचियां और मापन साधन,

(vii) फोटोकापी मशीन,

टिप्पणी: संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(ग) विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री:

(i) अध्यापन-अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री

ये उपकरण और सामग्री कार्यक्रम में नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा - दोनों दृष्टियों से उपयुक्त और पर्याप्त होने चाहिए। इनमें निम्न शामिल हैं -

शैक्षिक किट, माडल, खेल सामग्री, विभिन्न विषयों (गीत, खेल, क्रियाकलाप, कार्यपृष्ठ) पर सरल पुस्तकें, कठपुतलियां, सचित्र पुस्तकें, चित्र, ब्लो-अप, चार्ट, नक्शे, फ्लैश कार्ड्स, हैण्डबुक, तस्वीरें, बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं की चित्रात्मक प्रस्तुतियां।

(घ) सहायक सामग्री, खेल सामग्री और कला तथा दस्तकारी क्रियाकलापों के लिए उपकरण, औजार, कच्चा माल

काष्ठ कर्म औजारों का एक सेट, माली के औजारों का एक सेट, खिलौने बनाने, गुड़िया बनाने, सिलाई, ड्रेसडिजाइनिंग, कठपुतली के लिए अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों द्वारा चार्टों, माडलों को

993

तैयार करने तथा अन्य व्यावहारिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री - कला सामग्री, बेकार सामग्री, लेखन सामग्री (चार्ट पेपर, माउण्ट बोर्ड आदि) औजार जैसेकि कैंची, पैमाने आदि, कपड़ा।

(ड.) श्रव्य दृश्य उपकरण

5.1.5 में यथानिर्दिष्ट। प्रक्षेपण और अनुलिपिकरण के लिए हार्डवेयर तथा टीवी, वीसीआर, श्रव्य कैसेट रिकार्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रव्य वीडियो कैसेटों, दृश्य-श्रव्य टेपों, स्लाइडों, फिल्मों, चार्टों, तस्वीरों, रौट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अन्तर्सम्बन्ध टर्मिनल) सहित शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं वांछनीय होंगी।

(च) संगीत वाद्ययंत्र

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मंजीरा तथा अन्य स्वदेशी वाद्ययंत्रों जैसे सामान्य संगीत वाद्ययंत्र

(छ) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम 1000 पुस्तकें होनी चाहिए और हर साल 100 उत्कृष्ट पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में बच्चों के विश्वकोष, कोष, संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, बच्चों पर तथा उनके वास्ते पुस्तकें, अध्यापक पुस्तिकाएं (प्रहसनों, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/ऐल्बमों, कविताओं सहित) तथा राअशिप द्वारा प्रकाशित, अनुशंसित पुस्तकें। संस्थान को राअशिप द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 3 अन्य पत्रिकाएं मंगानी चाहिए।

(ज) खेल और खेल-कूद

सामान्य इन्डोर और आउटडोर खेलों के लिए सम्बन्धित खेल और खेल कूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(3) साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान को महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(iv) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

994

(vi) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

(vii) संस्थान का परिसर, भवन, सुविधाएं आदि विकलांगों के अनुकूल होनी चाहिए।

6 **पाठ्यचर्या संचालन**

आधारिक विषयों को पढ़ाने के अलावा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यचर्या से संबंधित प्रविधि विषयों यथा क्षेत्रीय भाषा/मातृ भाषा, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरणात्मक शिक्षा आदि जैसे शिक्षण के लिए प्रावधान होना चाहिए।

7 **(क) सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

(ख) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

995

परिशिष्ट - 3

प्रारंभिक शिक्षा मे स्नातक डिग्री (बी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को अब यह सांविधिक प्राधिकार प्रदान किया गया है कि वह अध्यापक शिक्षा का सुनियोजित और समन्वित विकास सुनिश्चित करने तथा विद्यालय स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तरों के लिए तैयारी सहित अध्यापक शिक्षा के मानकों का निर्धारण और उन्हें बनाए रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में वह जो भी उचित समझे, कदम उठाए। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक एवं अध्यापक-प्रशिक्षक तैयार करने वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए मानक और मानदंड निर्धारित करना अनेक कारणों से अनिवार्य हो गया है। ये मानक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले वर्तमान संस्थानों के लिए इस दृष्टि से सहायक सिद्ध होंगे कि इनके आधार पर वे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों से अपने यहां उपलब्ध व्यवस्थाओं की तुलना कर सकेंगे और यदि उनमें कोई खामियां हैं तो उनमें सुधार करने की आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। इन मानदंडों से अध्यापक शिक्षा के लिए नए संस्थानों, कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की उपयुक्त योजना बनाने में भी सहायता मिल सकेगी।

(2) **यहां मानकों एवं मानदंडों में उन 'शर्तों' का निदेश किया गया है जिनकी पूर्ति मान्यता, अनुमति तथा प्रवेश के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक है।**

इस दस्तावेज में आमने-सामने के माध्यम से चार वर्ष का पूर्णकालिक एकीकृत प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) कार्यक्रम चलाने वाले संस्थानों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित मानक और मानदंड स्पष्ट किए गए हैं।

आशा है कि इस दस्तावेज का प्रयोग अध्यापक शिक्षा के योजनाकारों तथा प्रशासकों और अध्यापक शिक्षा से जुड़े सरकारी स्वायत्त एवं निजी क्षेत्र के प्रबंधकों द्वारा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उनका आयोजन और उनकी मान्यता के लिए उपयोग किया जा सकेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इन मानदंडों का प्रयोग, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा (बी.एल.एड.) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थानों की व्यावसायिक मान्यता के लिए करेगी। इन मानदंडों का प्रयोग वर्तमान कार्यक्रमों और संस्थानों के स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सरकारी, स्वायत्त तथा निजी प्रबंधकों को सलाह देने के लिए भी किया जा सकेगा।

946

(3) पाठ्यक्रम की अवधि

(क) एकीकृत प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा डिग्री कार्यक्रम, जिसे इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कहा जाएगा, अध्ययन के चौथे वर्ष/अंतिम वर्ष में स्थानबद्ध अध्यापन (इंटर्नशिप) की अवधि सहित, जो कम से कम 16 कार्य सप्ताहों की होगी, कम से कम चार शैक्षणिक वर्षों की अवधि का होगा।

(ख) इस कार्यक्रम में जिन प्रत्याशियों को प्रवेश दिया जाएगा उन्हें दाखिले के वर्ष से छः वर्ष के भीतर अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षा को पूरा कर लेना होगा।

(4) प्रवेश के मानदंड

(क) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा में चार वर्ष के डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशियों को, प्रत्याशी की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई केंद्रीकृत निर्धारित प्रवेश परीक्षा (सीईटी) पास करनी होगी।

सीटों में आरक्षण संवैधानिक/कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में 5 प्रतिशत ढील दी जाएगी।

(ख) प्रवेश के लिए योग्यताएं

(i) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) में प्रवेश के लिए कम से कम 10+2 उच्च माध्यमिक परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(ii) इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक है कि उसने विद्यालय के कैलेंडर के अनुसार प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिन या उसके पहले आयु के 17 वर्ष पूरे कर लिए हों।

(5) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या और स्थानांतरण

(क) एक यूनिट में एक कक्षा में 35 से अधिक प्रत्याशियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों द्वारा पहले वर्ष के अंत में केवल एक बार ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमति लेकर विद्यार्थियों को एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने की अनुमति दी जाएगी किंतु शर्त यह है कि प्रत्याशियों की संख्या दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अनुमत्य अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(6) पाठ्यक्रम तथा अध्ययन की अवधि

मान्यता के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों को प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करनी होगी। अध्यापन कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में हरेक संस्थान को क्षेत्रीय दौरों तथा प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में नवाचारी क्रियाकलापों वाले केंद्रों के दौरों की व्यवस्था करनी होगी। संस्थानों को पाठ्यक्रमों की निम्नलिखित योजना के अनुसार शिक्षा देने का प्रबंध करना होगाः

(क) प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) की पाठ्यक्रम योजना

बी.एल.एड. कार्यक्रम की रूपरेखा इस ढंग से बनी होनी चाहिए कि उसमें विषय ज्ञान, मानवीय विकास, शिक्षाशास्त्र तथा संप्रेषण-कौशल - इन सभी का समेकन हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनिवार्य एवं वैकल्पिक - दोनों सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों, अनिवार्य अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा अनिवार्य स्थानबद्ध स्कूल अनुभव प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का समावेशन अनिवार्य है:

सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

- आधारिक पाठ्यक्रम
- कोर पाठ्यक्रम
- शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रम
- उदारीकृत पाठ्यक्रम
- शिक्षा में अन्य विकल्प

अभ्यासक्रम

- **निष्पादन कलाएं एवं ललित कलाएं, शिल्प तथा शारीरिक शिक्षा**
- सहभागितापूर्ण कार्य
- बच्चों का अवलोकन
- आत्म-विकास कार्यशाला
- विद्यालय संपर्क कार्यक्रम
- विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन कार्य
- परियोजना कार्य
- ट्यूटोरियल्स एवं गोष्ठीक्रम
- शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप

(ख) सैद्धांतिक एवं अभ्यासक्रम का वर्गीकरण तालिका 1क तथा 1ख में सुझाए अनुसार ज्ञान के क्षेत्रों के आधार पर किया जाए।

तालिका 1क : व्यावसायिक शिक्षा के लिए आधारिक आधार

अध्ययन का क्षेत्र	बी.एल.एड. पाठ्यक्रम
विषय के ज्ञान का आधार	**कोर पाठ्यक्रम:** सी.1.1 भाषा का स्वरूप सी.1.2 कोर गणित सी.1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान सी.1.4 कोर सामाजिक विज्ञान **द्वि-स्तरीय उदारीकृत विषय विशिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम:** किसी भी चुनिंदा विषय क्षेत्र में 02. एक्स और 03.एक्स **आधारिक पाठ्यक्रम (बहु-विषय क्षेत्रीय)** एफ 1.2 समकालीन भारत

998

शिक्षा	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 3.6 शिक्षा की मूल अवधारणाएं एफ 3.7 विद्यालय नियोजन तथा प्रबंधन एफ 4.8 पाठ्यचर्या अध्ययन एफ 4.9 लिंग एवं विद्यालय शिक्षा
बाल अध्ययन	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 1.1 बाल विकास एफ 2.3 संज्ञान तथा सीखना एफ 2.4 भाषा अर्जन

तालिका 1ख : व्यावसायिक प्रशिक्षण में अनुप्रयुक्त पाठ्यक्रम

अध्ययन का क्षेत्र	**बी.एल.एड. पाठ्यक्रम**
बाल अध्ययन	**अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमः** पीआर 1.2 (क) विद्यालय संपर्क कार्यक्रम (ख) शिल्प **पीआर 2.3 बच्चों का अवलोकन** पी.2.1 समूचे पाठ्यक्रम में भाषाज्ञान पी.3.2 तर्कपरक गणित शिक्षा पी.3.3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षाशास्त्र **कोई एक वैकल्पिक शिक्षाशास्त्रीय पाठ्यक्रमः** ओपी.4.1 भाषा ओपी.4.2 गणित ओपी.4.3 प्राकृतिक विज्ञान ओपी.4.4 सामाजिक विज्ञान अथवा **शिक्षा से संबंधित कोई एक वैकल्पिक उदारीकृत पाठ्यक्रम** ओएल.4.1 कंप्यूटर शिक्षा ओसी.4.2 विशेष शिक्षा **विद्यालय संपर्क कार्यक्रमः** एससी.3.1 कक्षा प्रबंधन एससी.3.2 सामग्री विकास तथा मूल्यांकन
अध्यापकों का विकास एवं कौशल प्रशिक्षण	**आधारिक पाठ्यक्रमः** एफ 2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण **अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम** पीआर 1.1 रंगमंच पीआर 1.2 शिल्प पीआर 2.4 आत्म-विकास

999

	पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा गोष्ठीक्रम/ट्यूटोरियल्स शैक्षणिक संवर्द्धन, -क्षेत्र-आधारित परियोजनाएं/एसाइनमेंट्स
विद्यालय अनुभव	एसआई विद्यालय में स्थानबद्ध परियोजना

टिप्पणी: अनुशंसात्मक/निदर्शी विवरण अनुबंध 'ए' में दिए गए हैं:

(ग) **विद्यार्थी संपर्क के घंटे**

विद्यार्थी संपर्क के वर्ष-वार न्यूनतम घंटों का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

वर्ष-वार विद्यार्थी संपर्क कार्यक्रम के कम से कम घंटे तालिका 2 में बताए अनुसार हो सकते हैं।

तालिका 2: वर्ष-वार न्यूनतम विद्यार्थी-संपर्क घंटे

अध्ययन का वर्ष	प्रतिदिन विद्यार्थी संपर्क के घंटे	प्रति सप्ताह विद्यार्थी संपर्क के घंटे	संपर्क के कुल घंटे
I	6.7	33.5	837.5
II	5.3	26.5	662.5
III	5.4	27.0	675.0
IV	5.8	29.0	725.0
योग	23.2	116.0	2900.0

विद्यार्थी संपर्क घंटों को संपर्क पीरियडों के रूप में पढ़ा जाए। एक पीरियड आमतौर पर 50 मिनट का होता है। औसत विद्यार्थी संपर्क घंटों की गणना प्रति सप्ताह पांच कार्य दिवस मानकर की गई है।

संपर्क घंटों की कुल संख्या की गणना वर्ष में 25 कार्यकारी सप्ताह के आधार पर की गई है।

(7) **प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) कार्यक्रम का आयोजन**

संस्थानों को व्यावसायिक कार्यक्रम से संबंधित निम्निलिखत विशेष मांगों को पूरा करना होगा:

(क) बी.एल.एड. के विद्यार्थियों को संस्थानों के अन्य क्रियाकलापों में शैक्षणिक, साथ ही सह-पाठ्यचर्या क्रियाकलापों में सम्मिलित करना होगा और उन्हें कंप्यूटर, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रेक्षागृह (ऑडिटोरियम) आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाएगा।

(ख) संस्थानों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच अंतःविषय क्षेत्रीय शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देना होगा।

(ग) विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए संगोष्ठियों, भाषणों तथा सामूहिक परिचर्चाएं आयोजित करके शिक्षा पर चर्चा की शुरूआत की जाएगी।

1020

(घ) कार्यक्रम संबंधी विशेष क्रियाकलापों के संचालन के लिए (अर्थात रंगमंच, शिल्प, आत्मविकास कार्यशालाएं) विश्वविद्यालय/संस्थान के भीतर/बाहर उपलब्ध व्यावसायिक विशेषज्ञों से सहायता अवश्य ली जाएगी।

(ङ.) संस्थान को कम से कम छः प्रारंभिक विद्यालयों के समूह के बीच विचारों और क्रियाकलापों का आदान-प्रदान प्रारंभ करना और बनाए रखना आवश्यक है। ये विद्यालय अध्ययन कार्यक्रम की समूची अवधि में सभी अभ्यासक्रम क्रियाकलापों एवं उनसे संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु बने रहेंगे।

(च) संस्थान को विद्यालयों के स्नतकों की नियुक्ति की दिशा में भी कदम उठाना होगा।

(8) **परीक्षा, मानक और परीक्षकों की योग्यताएं**

संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के उपयुक्त अध्यादेशों में निम्नलिखित को यथास्थान सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए, जो अपने सांविधिक निकायों के माध्यम से साथ ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के परामर्श से जब भी उचित समझा जाए, इनकी समीक्षा के लिए प्रावधान बनाएंगे।

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन आंतरिक रूप से हो सकता है।

(ग) सभी अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों तथा स्थानबद्ध कार्यक्रमों के संबंध में संस्थानों के बीच गुणवत्ता एवं समानता से संबंधित प्रश्नों पर निगरानी रखने का काम संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा गठित एक मॉडरेशन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(घ) आंतरिक स्तर पर हुए मूल्यांकन के आधार पर सैद्धांतिक विषयों के सभी पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 30 प्रतिशत की और अभ्यासक्रम पाठ्यक्रमों में प्राप्त अंकों में 100 प्रतिशत की भारिता प्रदान की जाएगी।

(ङ.) प्रतिवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक लिखित प्रश्नपत्र में कम से कम 40 प्रतिशत, आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 45 प्रतिशत, अभ्यासक्रम में 50 प्रतिशत और कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(च) केवल उन्हीं प्रत्याशियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जो आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे।

(छ) यदि किसी प्रत्याशी ने कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं, किंतु जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है और उस विषय में यदि उसके अंक 25 प्रतिशत से कम नहीं है, तो उसे अस्थायी रूप से आगामी वर्ष में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाएगी, किंतु शर्त यह है कि उसके लिए विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार शुल्क की अदायगी करके आयोजित होने वाली सहायक (कंपार्टमेंटल) परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा। यदि प्रत्याशी उस सहायक परीक्षा में अनुत्तीर्ण

1001

रहता है या वह सहायक परीक्षा में उपस्थित नहीं होता/होती तो उसे पिछले वर्ष में वापस भेज दिया जाएगा।

(ज) परीक्षा के किसी भी विषय का परीक्षक होने के लिए परीक्षक के पास अपने अध्ययन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए।

(9) **कर्मचारी वर्ग, उपकरण तथा प्रशिक्षण**

(क) शैक्षणिक संकाय

- पूर्णकालिक संकाय-सदस्यों की संख्या - 14
- संकाय-विद्यार्थी अनुपात - 1:10
- विद्यार्थियों की संख्या - 35x4 140
- अंशकालिक संकाय सदस्यों की संख्या - 3

(ख) संस्थानों द्वारा संकाय-सदस्यों को शोधकार्य सहित व्यावसायिक अभ्यास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) संस्थानों द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम में संकाय सदस्यों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(घ) प्रशासनिक स्टाफ

- पाठ्यचर्या प्रयोगशाला परिचर : एक
- संसाधन प्रयोगशाला परिचर : एक
- स्टेनो टाइपिस्ट : दो

(ड.) कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों को पूर्णकालिक और नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा। सभी पदों के लिए चयन उपयुक्त रूप से गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रहेगा।

(च) संकाय सदस्यों का चयन

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों के पास शिक्षा* विषय में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री, अथवा शिक्षा* में शोधकार्य में डिग्री अथवा शिक्षा* के क्षेत्र में प्रमाणित अनुभव/शोधकार्य सहित बहुविध विशेषज्ञताएं (तालिका 3 के विवरण के अनुसार) होनी चाहिए।

***अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा**

1002

तालिका 3 : प्रारंभिक शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों का अपेक्षित प्रोफाइल

विशेषज्ञता	पदों की संख्या	अनिवार्य अर्हताएं	विशेष रुचि तथा प्रमाणित अनुभव	पढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम
मनोविज्ञान/बाल विकास	एक तथा	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान (बाल विकास में विशेषज्ञता सहित)/एम.एससी. बाल विकास तथा शिक्षा में शोध कार्य में डिग्री	बच्चों के साथ कार्य/बच्चे किस तरह सीखते हैं इन प्रश्नों पर बच्चों के साथ रहकर किया गया कार्य।	बाल विकास संज्ञान तथा सीखना
-	एक	एम.ए. मनोविज्ञान/अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान/(नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री/एमएसडब्ल्यू (व्यक्तित्व विकास तथा काउंसलिंग में विशेषज्ञता सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य	नैदानिक मनोविज्ञान/ काउंसलिंग	संबंधित अभ्यासक्रम मानव संबंध/और संप्रेषण संबंधित अभ्यासक्रम
* अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा				
गणित* अधिमानतः प्रारंभिक शिक्षा	एक	एम.एस. गणित/एम.एससी. गणित तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	रचनात्मक अध्यापन पद्धति	कोर गणित तर्कपरक गणित शिक्षा विद्यालय संपर्क गणित शिक्षाशास्त्र
विज्ञान	एक तथा	एम.एससी. जीवविज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा ग्रहण मनोविज्ञान, पाठ्यचर्यात्मक मुद्दे विज्ञान शिक्षण	कोर प्राकृतिक विज्ञान
जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान	एक	एम.एससी. भौतिक विज्ञान तथा शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	-वही-	पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र विद्यालय संपर्क प्राकृतिक विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
सामाजिक विज्ञान	एक	एम.ए. राजनीतिशास्त्र (विकासोन्मुखी अध्ययन/ राजनैतिक अर्थव्यवस्था में विशेषज्ञता सहित)/एम.ए. समाजशास्त्र, (विकासोन्मुखी अध्ययन/राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणालियों में विशेषज्ञता सहित)/ एम.ए. इतिहास (सामाजिक विज्ञान के दर्शनशास्त्र के विशेषज्ञता	समकालीन भारतीय मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणात्मक शिक्षा के बहुविषय क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों के समेकित अनुप्रयोग	कोर सामाजिक विज्ञान समकालीन भारतवर्ष

1003

	तथा एक	सहित) तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में शोध कार्य एम.ए. सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिग्री	शिक्षाशास्त्रीय अध्ययन, रचनात्मक अध्यापन विधि सामाजिक विज्ञान में	पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र समाज विज्ञान का शिक्षाशास्त्र
भाषा विज्ञान	एक	एम.ए. भाषा विज्ञान/भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित एम.ए. अंग्रेजी/ हिंदी भाषा विज्ञान में डिप्लोमा सहित तथा बच्चों में भाषा विकास विषय पर शोधकार्य/शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा पर शोध कार्य	बच्चों में भाषा विकास, रचनात्मक भाषा अध्यापन	भाषा का स्वरूप भाषा अर्जन
भाषा : हिंदी अथवा अंग्रेजी	एक	अंग्रेजी/हिंदी में एम.ए. साथ ही शिक्षा में व्यावसायिक स्नातकोत्तर डिग्री	पाठ्यचर्या सामग्री का विकास; नवीन विधियों से भाषा-शिक्षण, भाषा का शिक्षाशास्त्र	समूची पाठ्यचर्या में भाषा संबंधित अभ्यासक्रम भाषा का शिक्षाशास्त्र
शिक्षा	एक तथा एक	दर्शनशास्त्र में एम.ए. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/शिक्षा में व्यावसायिक डिग्री सामाजिक विज्ञान में एम.ए. विज्ञान में एम.एससी. तथा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री	शिक्षा-सिद्धांत, दर्शन तथा नीति पाठ्यचर्या विषयक मुद्दे विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों का परिप्रेक्ष्य	शिक्षा में मूल अवधारणाएं बाल विकास पाठ्यचर्या अध्ययन अन्य पाठ्यक्रमों की संगत इकाइयां विद्यालय आयोजना तथा प्रबंध
उदार विकल्प (कम से कम 4)	तीन*	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री	अंतर-विषयक परिप्रेक्ष्य	लिए गए उदार विकल्प
अंशकालिक संकाय रंगमंच	तीन**	संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा प्रमाणित अनुभव शिक्षा में रंगमंच	शिक्षा में आत्मविकास के लिए रंगमंच के उपयोग की क्षमता	निष्पादन तथा ललित कलाएं
शिल्प		शिल्प-निर्माण/प्रशिक्षण	शिल्प निर्माण में कुशलता तथा दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता	शिल्प, सहभागितापूर्ण कार्य
आत्म-विकास		नैदानिक/काउंसलिंग अभ्यास/ सामूहिक प्रशिक्षण	वैयक्तिक विकास/ काउंसलिंग में कार्यशालाएं संचालित करने की क्षमता	आत्म विकास कार्यशालाएं
शारीरिक शिक्षा		शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं अभ्यास	शिक्षा के साथ शारीरिक संचलन के विभिन्न रूपों का समेकन करने की क्षमता	शारीरिक शिक्षा

1004

* ये सेवाएं संस्थान के किसी सहयोगी विभाग से ली जाएंगी

** एक पूर्णकालिक संकाय के बराबर (ये विशेष योग्यताप्राप्त संसाधन व्यक्ति होंगे जो संस्थान के बाहर रहकर अपनी सेवाएं देंगे)।

(10) अन्य सुविधाएं

संस्थान को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करनी होंगीः

भौतिक सुविधाएं

प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थान में जिन भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी होगी उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है (i) शैक्षणिक क्षेत्र, (ii) प्रशासनिक क्षेत्र तथा (iii) सुविधा क्षेत्र।

- शैक्षणिक क्षेत्र में कक्षाओं के कमरे, पाठ्यचर्या प्रयोगशाला, संसाधन प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, कार्यशाला, प्रेक्षागृह, कंप्यूटर कक्ष तथा पुस्तकालय होंगे।
- प्रशासनिक क्षेत्र में प्रिंसीपल का कमरा, संकाय के लिए कमरे, केंद्रीय कार्यालय, सम्मेलन कक्ष, अभिलेखागार, कंप्यूटर कक्ष तथा स्वागत कक्ष होंगे।
- सुविधा क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए कामन रूम, स्टाफ रूम, हाल, खेलकूद/मनोरंजन केंद्र, जलपानगृह, सहकारी भंडार, औषधालय तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होंगी।

(11) स्थान के लिए मानदंड

जहां अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था किसी ऐसे विभाग/महाविद्यालय के माध्यम से की जाती है जो कि किसी ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान का एक अभिन्न अंग है जिसमें अनेक संकाय और अध्ययन के विभाग हैं, वहां केंद्र में उपलब्ध सभी केंद्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा विभाग और अन्य विभाग मिलकर करेंगे। जहां तक प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं का प्रश्न है, उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी आवश्यक होगी ताकि बी.एल.एड. पाठ्यक्रम के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पुस्तकालय के अतिरिक्त स्वयं विभाग का अलग से एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाना चाहिए जिससे बी.एल.एड. के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षाशास्त्र-आधारित अभ्यासक्रम तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों के लिए आवश्यक अन्य उपकरणों के साथ ही संसाधन प्रयोगशाला में पढ़ने की पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रेक्षागृह, हाल, सम्मेलन कक्ष आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ मिलकर किया जा सकता है।

(12) बी.एल.एड. के विद्यार्थियों के लिए विशेष आधारिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला : एक

पाठ्यचर्या प्रयोगशाला वह प्रयोगशाला होगी, जहां व्यवहारिक अनुभव ग्रहण करने के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे। इस प्रयोगशाला का उपयोग पहले वर्ष के पाठ्यक्रमों जैसे कि शिल्प, कोर गणित, कोर विज्ञान तथा आंशिक रूप से कोर सामाजिक विज्ञान तथा तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम में तर्कपरक गणित शिक्षा, पर्यावरणात्मक अध्ययन का शिक्षाशास्त्र तथा सामग्री-विकास संबंधी अभ्यासक्रम के प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

प्रयोगशाला में विज्ञान तथा गणित में प्रयोग में आने वाली सामग्री तथा साज-सामान जैसे कि उपस्कर, रसायन, किटें, नक्शे, ग्लोब, उपकरण तथा हथौड़ी, प्लास, कैंची और तार

1005

जैसे औजार उपलब्ध रहने चाहिए। छोटे-छोटे समूहों में काम करने के प्रयोग में आने वाली मेजें भी रहनी चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके ताकि फर्श पर काम करने की जगह भी मिल सके। प्रयोगशाला में एक ओवरहैड प्रोजेक्टर के प्रयोग, सूचनापट्ट तथा कक्षाएं चलाने के वास्ते ब्लैकबोर्ड के लिए भी स्थान रहना चाहिए।

(ख) संसाधन प्रयोगशाला : एक

संसाधन प्रयोगशाला का प्रयोग एक प्रयोगशाला-एवं-विभागीय पुस्तकालय के रूप में किया जाएगा। इसमें एक भंडार कक्ष रहना चाहिए, साथ ही पढ़ने के लिए पुस्तकें, पाठ्यचर्या सामग्री, बाल साहित्य, पाठ्यपुस्तकें, रिपोर्ट तथा दस्तावेज उपलब्ध रहने चाहिए। यह सामग्री वह होगी, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से बी.एल.एड. से संबंधित पाठ्यक्रमों में होता है। इन सभी वस्तुओं की संख्या इतनी रहनी चाहिए जिससे इनका उपयोग विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी कर सकें। संसाधन प्रयोगशाला में संकाय तथा विद्यार्थियों के प्रयोग के लिए एक कंप्यूटर सुविधा भी सुलभ होनी चाहिए। प्रयोगशाला में स्थान भी काफी रहना चाहिए जिससे इसका इस्तेमाल विद्यार्थियों की बैठकों, कक्षाओं तथा सामूहिक परिचर्चा एवं पढने के लिए भी किया जा सके।

(ग) कार्यशाला के लिए स्थान : दो

संस्थान को रंगमंच कार्यशालाओं, आत्म-विकास कार्यशालाओं तथा शारीरिक शिक्षा कार्यशालाओं जैसी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए अलग से स्थान की व्यवस्था करनी होगी। यह स्थान इतना होना चाहिए कि उसमें 35-40 विद्यार्थियों के बैच के लिए' आसानी से आने-जाने की जगह रहे।

(13) शुल्क संरचना एवं छात्रवृत्तियां

अनिवार्य

शुल्क की संरचना राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए अनुसार होनी चाहिए। किंतु किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से लिया गया शुल्क और दूसरे खर्च की कुल राशि संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी पर हुए आवर्ती खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वांछनीय

गरीब वर्ग के योग्य विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त निःशुल्क शिक्षावत्ति दी जा सकती है। योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान भी रहना चाहिए।

कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति का स्वरूप

सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां पूर्णकालिक एवं नियमित आधार पर होनी चाहिए। सभी पदों के लिए चयन उचित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा। अध्यापक वर्ग के वेतनमान का ढांचा वि.वि.अ. आयोग/सरकार के मानदंडों के अनुसार रहेगा।

1006

चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एल.एड.) की योजना

अनुबंध 'ए'

इस पाठ्यक्रम में छात्रों को +2 के बाद प्रवेश दिया जाएगा

सिद्धांत			अभ्यासक्रम			गोष्ठीक्रम/परियोजना			संवर्द्धन		
	परीक्षा अवधि	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक		प्रति सप्ताह संपर्क के घंटे	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
प्रथम वर्ष											
एफ 1.1 बाल विकास	3	100	पीआर 1.1 फारमैटिंग तथा ललित कलाएं	4	75						
एफ 1.2 समकालीन भारत	3	100									
सी-1.1 भाषा का स्वरूप	2	50	पीआर 1.2 शिल्प, सहभागितापूर्ण कार्य	3	25	गोष्ठीक्रम ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप	1	
सी-1.2 कोर गणित	2	50									
सी-1.3 कोर प्राकृतिक विज्ञान	2	50									
सी-1.4 कोर सामाजिक विज्ञान	2	50									
		400		7	100		1	50		1	550
द्वितीय वर्ष											
एफ-2.3 संज्ञान और सीखना	3	100	पीआर 2.3 बाल अवलोकन	2	75						
एफ-2.4 भाषा अर्जन	2	50									
एफ-2.5 मानव संबंध एवं संप्रेषण	2	50									
पी 2.1 समूची पाठ्यचर्या में भाषा	2	50	पीआर 2.4 आत्म विकास कार्यशाला	3	50	कोलोकिया ट्यूटोरियल	1	50	शैक्षणिक संवर्द्धन क्रियाकलाप		
			पीआर 2.5 शारीरिक शिक्षा	2	25						
उदार पाठ्यक्रम (वैकल्पिक 1)	3	100									
02.1 अंग्रेजी-1											
02.2 हिंदी-1											
02.3 गणित-1											
02.4 भौतिक विज्ञान-1											
02.5 रसायन विज्ञान-1											
02.6 जीवविज्ञान-1											
02.7 इतिहास-1											

1007

02.8 राजनीतिशास्त्र 1 02.9 भूगोल 1 02.10 अर्थशास्त्र-1		350		7	150		1	50			550

एफः आधारिक पाठ्यक्रम; सीः कोर पाठ्यक्रम; पीः शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओः वैकल्पिक उदार पाठ्यक्रम; ओ.पी.: वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम; ओ.एल.: वैकल्पिक पाठ्यक्रम; पीआरः अभ्यासक्रम; एससीः विद्यालय संपर्क कार्यक्रम; एसआईः विद्यालय में स्थानबद्ध अध्यापन।

पाठ्यक्रम के नाम के अक्षरों (एफ, सी, पी, आदि) के तुरंत बाद दी गई संख्या कार्यक्रम के उस वर्ष की परिचायक है जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है। दूसरी संख्या विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रम के क्रमांक की परिचायक है। उदाहरण के लिए एफ 2.5 से यह पता चलता है कि मानव संबंध एवं संप्रेषण 5वां आधारिक पाठ्यक्रम है जिसे कार्यक्रम के अध्ययन काल के दूसरे वर्ष में पढ़ाया जाना है।

1008

परिशिष्ट - 4

शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यापक तत्परता पाठ्यक्रम जिसे आमतौर पर बी.एड. के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो कि उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल (कक्षाएं VI-VIII), माध्यमिक (कक्षाएं IX-X) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षाएं XI-XII) स्तरों के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2 **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

बी.एड. कार्यक्रम की अवधि कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और प्रवेश आदि की अवधि के अलावा कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम चालीस दिन निकटस्थ प्राथमिक स्कूलों में अभ्यास-अध्यापन/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान पाँच अथवा छह दिन के सप्ताह में कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

सहभागितापूर्ण शिक्षण और अधिगम को सुकर बनाने के लिए सौ छात्रों का एक यूनिट होगा जिसे सामान्य सत्रों के लिए पचास-पचास के दो सेक्शनों में बाट दिया जाएगा और कार्यक्रम के पद्धति पाठ्यक्रमों तथा अन्य प्रायोगिक क्रियाकलापों के लिए प्रत्येक स्कूल विषय के निमित्त प्रति अध्यापक अधिक से अधिक पच्चीस छात्र होंगे।

(2) **पात्रता**

(क) कार्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक की डिग्री तथा/अथवा मास्टर डिग्री अथवा अथवा उसके समतुल्य किसी अन्य अर्हता में कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।

109

(ख) आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटों और अर्हक अंकों में ढील संबंधित सरकार के नियमों के अनुसार होगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (100 छात्रों की एक बुनियादी यूनिट के लिए)

प्रिंसीपल/अध्यक्ष - एक
लेक्चरर - सात

(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्र सौ के गुणकों में होंगे और पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में, बुनियादी यूनिट में प्रत्येक वृद्धि के साथ सात की वृद्धि कर दी जाएगी। तथापि, प्रत्येक मौके पर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में एक बुनियादी यूनिट की वृद्धि पर विचार किया जाएगा। साथ ही सभी अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या 300 से अधिक नहीं होगी।

(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी ताकि सभी आधारिक और प्रविधि पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(II) **अर्हताएं**

(i) **प्रिंसीपल/अध्यक्ष (बहु-संकाय संस्थान में)**

(क) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जो कि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथ

(ख) शिक्षा में पीएचडी

1010

(ग) दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव किसी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान का होना चाहिए।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

(ii) लेक्चरर:

(क) आधारिक पाठ्यक्रम एक

(i) पचास प्रतिशत अंकों सहित विज्ञान/मानविकी/कलाओं में मास्टर डिग्री

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित एमएड

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

अथवा

(i) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शिक्षा में एमए

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.एड.

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

(ख) प्रविधि पाठ्यक्रम छह

(i) स्कूल विषय में पचास प्रतिशत अंकों सहित मास्टर डिग्री

(ii) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित एमएड डिग्री तथा

(iii) प्रिंसीपलों तथा लेक्चररों के पदों के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

(ग) कला शिक्षा में लेक्चरर एक (अंशकालिक)

1011

(ललित कला/निष्पादन कला)

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कलाओं/संगीत में मास्टर डिग्री

(घ) शारीरिक शिक्षा निदेशक (डीपीई) - एक (अंशकालिक)

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

टिप्पणीः (1) कम से कम एक लेक्चरर के पास आईसीटी में और दूसरे के पास विशेष शिक्षा में विशेषज्ञता होनी चाहिए।

4.2 तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष एक

पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री (पचपन प्रतिशत अंकों सहित)

4.3 सहयोगी स्टाफ

(क) **संख्या**

(i) कार्यालय-एवं-लेखा सहायक - एक

(ii) कार्यालय सहायक-एवं कंप्यूटरी प्रचालक - एक

(iii) स्टोर-कीपर - एक

(iv) तकनीक सहायक/कंप्यूटर सहायक - दो

(v) प्रयोगशाला परिचर/सहायक/सहयोगी स्टाफ - दो

(ख) **अर्हताएं**

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित।

4.4 सेवा की शर्तें और उपबन्ध

(क) इन पदों पर नियुक्तियां यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

1012

सहयोगी स्टाफ को वेतन का भुगतान यूजीसी/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के वेतनमान ढांचे के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 **सुविधाएं**

(1) **आधारिक सुविधाएं**

(i) संस्थानों के कब्जे में सौ छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए ढाई हजार वर्गमीटर नितांतः भली-भांति सीमांकित भूमि होगी जिसमें से डेढ़ हजार वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होगा और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या उससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थान के पास पांच सौ वर्गमीटर की अतिरिक्त भूमि का कब्जा होना चाहिए। प्रति वर्ष दो सौ से अधिक तथा तीन सौ तक दाखिल किए जाने वाले छात्रों के लिए उसके कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए। इन विनियमों से पहले स्थापित संस्थानों के मामले में अतिरिक्त रूप से दाखिल किए जाने वाले सौ छात्रों के लिए निर्मित क्षेत्र में पांच सौ वर्गमीटर की वृद्धि की जानी होगी तथा अतिरिक्त भूमि की शर्त उनके मामले में लागू नहीं होगी। सभी अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रमों पर एक साथ विचार करते हुए किसी भी संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की कुल क्षमता तीन सौ से अधिक नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों के लिए अलग भूमि और निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ii) बी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

1013

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
बी.एड.	1500 वर्गमीटर	2500
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड.	2500 वर्गमीटर	3000
डी.एल.एड. तथा बी.एड.	3000 वर्गमीटर	3000
बी.एड. तथा एम.एड.	2000 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3500 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

बी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होंगी।

(iii) संस्थान में निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(क) दो क्लासरूम

(ख) दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला तथा एक डायस सहित बहुद्देशीय हाल (दो सौ वर्गफुट)

(ग) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय।

(घ) आईसीटी संसाधन केन्द्र।

(ङ.) मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र।

(च) कला तथा शिल्प संसाधन केन्द्र।

(छ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र।

(ज) विज्ञान और गणित संसाधन केन्द्र।

(झ) प्रिंसीपल का कार्यालय।

(ञ) स्टाफ रूम।

(ट) प्रशासनिक कार्यालय।

(ठ) अतिथि कक्ष।

(ड) बालिकाओं का कामन रूम।

1014

5191

(ढ) संगोष्ठी कक्ष।

(ण) कैंटीन।

(त) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधाएं।

(थ) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान।

(द) स्टोर रूम (दो)।

(ध) बहुप्रयोजन खेल मैदान।

(न) अतिरिक्त आवास के लिए खुला स्थान।

(iv) खेल के मैदान सहित खेल सुविधाएं होंगी। विकल्प के तौर पर नितांतः निर्धारित अवधियों के लिए सम्बद्ध स्कूल या स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खेल के मैदान का प्रयोग किया जा सकता है और महानगरीय शहरों/पर्वतीय क्षेत्रों जैसे स्थानों में, जहाँ स्थान की कमी रहती है छोटे मैदान के खेलों, योग, इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

(v) आग के जोखिम के लिए भवन के सभी हिस्सों में सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए।

(vi) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधा रहित होने चाहिए।

(vii) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान में प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास अध्यापन सम्बन्धी क्रियाकलापों के लिए समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। संस्थान स्कूलों से इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि वे अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने को तत्पर हैं। एक हजार तथा दो हजार छात्रों की क्षमता वाले स्कूल के साथ क्रमशः अधिक से अधिक दस तथा बीस प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे। बेहतर हो यदि संस्थान के पास अपने नियंत्रण के अधीन एक संबद्ध स्कूल हो।

(ख) कम से कम पचास प्रतिशत छात्रों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय-एवं-वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए एक हजार पुस्तकें तथा संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोशों, इलेक्ट्रिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम से कम तीन हजार पुस्तकें और शिक्षा की कम से कम पांच पत्रिकाएं तथा संबद्ध विषयों में अन्य पांच पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रति वर्ष दो सौ

1015

पुस्तकें शामिल की जाएंगी जिनमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रकाशित तथा अनुशंसित पुस्तकें और पत्रिकाएं सम्मिलित होंगी। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर प्रत्येक पुस्तक की तीन से अधिक प्रतियां नहीं होंगी।

(ग) विज्ञान और गणित के लिए अध्यापन अधिगम संसाधन केन्द्र होगा। इसमें माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रयोगों का निष्पादन और निदर्शन करने के लिए अपेक्षित विज्ञान उपकरणों के कई सेट होंगे। अपेक्षित मात्रा में रसायन आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(घ) शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित साधारण प्रयोगों के लिए उपकरण सहित एक मनोविज्ञान संसाधन केन्द्र होगा।

(ड.) कंप्यूटरों सहित हार्डवेयर और साफ्टवेयर से युक्त आईसीटी सुविधाएं, टीवी, कैमरा उपलब्ध होंगे। आरओटी (केवल प्राप्ति टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण।

(च) कला तथा कार्य अनुभव के लिए एक पूर्णतः सुसज्जित अध्यापन अधिगम संसाधन केन्द्र होगा।

(छ) सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेल और खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

टिप्पणीः संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(3) साधन

(क) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) संस्थान को पुरुष तथा महिला अध्यापक-प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी- अध्यापकों के लिए अलग-अलग कामन रूमों की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

(ग) स्टाफ और छात्रों के लिए पुरुषों और महिलाओं के वास्ते पर्याप्त संख्या में अलग-अलग टायलेट उपलब्ध होने चाहिए।

(घ) वाहनों को खड़े करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ड.) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

1016

(च) परिसर की नियमित सफाई, पानी और टायलेट सुविधाएं, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा उन्हें बदलने की कारगर व्यवस्था होनी चाहिए।

6 **पाठ्यचर्या संचालन**

(क) प्रत्येक छात्र द्वारा निष्पादित किया जाने वाला व्यवहारिक कार्य

मद **अनिवार्य (संख्या)**

(क) पाठ आयोजना और स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित वास्तविक स्कूल स्थितियों में पढ़ाना - तीस पाठ - प्रत्येक शिक्षण विषय में पंद्रह पाठ

(ख) पाठ आयोजना तथा अनुरूपित स्थिति में पढ़ाना -- दस पाठ - प्रत्येक शिक्षण में विषय में पांच पाठ

(ग) पाठ आयोजना तथा अनुरूपित स्थिति में पढ़ाना - दस पाठ - प्रत्येक शिक्षण में विषय में पांच पाठ

(घ) कार्य अनुसंधान परियोजना - 1 (एक)

(ङ) स्कूल संपलन का अनूठा अनुभव -- दो दिन

(च) क्षेत्र-विशिष्ट समुदाय अनुभव -- पांच दिन

(छी) अभ्यास पाठ का पर्यवेक्षण

निर्धारित्ति अभ्यास शिक्षण पाठों में से कम से कम पचास प्रतिशत पाठ अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा पूरी तरह पर्यवेक्षित किए जाएंगे और छात्रों को मौखिक रूप से फीडबैक और साथ ही लिखित रूप में टिप्पणियां प्रदान की जाएंगी। पाठ योजना, शिक्षण और पर्यवेक्षण का रिकार्ड रखा जाएगा।

7 **(क) सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुद्देशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए।

(ख) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैरमौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी अथवा न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

1017

परिशिष्ट - 5

शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त करने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. **प्रस्तावना**

(1) शिक्षा में मास्टर (एम.एड.) कार्यक्रम ऐसे छात्रों के लिए है जोकि शिक्षा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापक प्रशिक्षकों को तैयार करने के साथ-साथ शैक्षिक प्रशासकों, पर्यवेक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं को तैयार करना भी है।

(2) एम.एड. कार्यक्रम में शिक्षा के विषयक्षेत्र में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रमों तथा संबंधित व्यावहारिक/क्षेत्रीय कार्य सहित सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थान से परिचय और उसमें प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त शोध प्रबंध के रूप में अनुसंधान कार्य इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग होगा। वास्तविक डिजाइन और घोषित लक्ष्यों के आधार पर यह कार्यक्रम छात्रों को शिक्षा के अपने ज्ञान और बोध का विस्तार करने और उसमें गहराई लाने, अध्यापक शिक्षा सहित चुनिंदा क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और अनुसंधान संबंधी कौशल प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान करता है।

(3) ऐसे विश्वविद्यालय विभागों को छोड़कर जोकि सीधे ही बी.एड. पाठ्यक्रम न चला रहे हों, केवल वही संस्थान एम.एड. पाठ्यक्रम चलाने के पात्र हैं जोकि बी.एड. कार्यक्रम चला रहे हों।

2. **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

एम.एड. कार्यक्रम एक शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा।

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिले की अवधियों को छोड़कर नितांततः अनुदेशन, शोध प्रबंध के निमित्त क्षेत्रीय कार्य और अध्यापक शिक्षा संस्थान में स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए कम-से-कम दो सौ कार्यदिवस होंगे।

(ख) संस्थान सप्ताह (पांच अथवा छह दिन) में कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा जिस दौरान संस्थान में अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थी-अध्यापकों की वास्तविक उपस्थिति जरूरी होगी जिससे कि व्यक्तिगत सलाह, मार्गदर्शन, संवादों और परामर्श के लिए जब कभी उसकी जरूरत हो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और प्रवेश क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

(क) बुनियादी यूनिट पच्चीस छात्रों की होगी। ऐसे प्रमाणित संस्थानों में, जहां भौतिक और मानवीय--दोनों प्रकार के आधारिक तंत्र का स्तर उन्नत कोटि का है और जिसका सत्यापन किया जा सकता है कुल मिलाकर पचास छात्रों तक का दाखिला मंजूर किया जा सकता है।

(2) **पात्रता**

(i) बी.एड. में कम-से-कम पचपन प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में 5 प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार/संघशासित क्षेत्र प्रशासन तथा विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता-क्रम के अनुसार दाखिले किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (पच्चीस छात्रों के बुनियादी यूनिट के लिए)
प्रोफेसर/अध्यक्ष - एक
रीडर/सह-प्रोफेसर - एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर- तीन

(ii) अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने पर संकाय की स्थिति में ऊपर बताए गए अनुपात के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

(II) **अर्हताएं**

प्रोफेसर/अध्यक्ष

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड और प्रत्येक में कम से कम पचपन प्रतिशत अंक।

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एमए (शिक्षा) तथा कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बीएड

(ii) शिक्षा में पीएचडी तथा

(iii) शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग अथवा शिक्षा के कालेज में कम से कम बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से एमएड स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव और साथ ही उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

टिप्पणी: पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

रीडर/सह-प्रोफेसर

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड तथा कम से कम और प्रत्येक में कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड।

अथवा

एमए (शिक्षा) और बीएड और प्रत्येक में पचपन प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(ii) शिक्षा में पीएचडी

(iii) शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग अथवा शिक्षा के कालेज में कम से कम आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से एमएड स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और साथ ही उसके विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रकाशित कार्य।

1020

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कला/मानविकी/विज्ञान/वाणिज्य में मास्टर डिग्री तथा एमएड तथा कम से कम और प्रत्येक में कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड।

अथवा

एमए (शिक्षा) और बीएड और प्रत्येक में पचपन प्रतिशत अंक होने चाहिए।

(ii) प्रिंसीपल तथा लेक्चरर के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

टिप्पणीः बेहतर हो कि संकाय के एक सदस्य के पास एमएड के अलावा मनोविज्ञान में तथा दूसरे के पास दर्शनशास्त्र/समाज विज्ञान में मास्टर डिग्री हो।

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(IV) **प्रशासनिक स्टाफ**

(i) संख्या

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(V) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) इन पदों पर नियुक्तियां यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति यूजीसी/संबंधित विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को यूजीसी/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतनमान में वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) संस्थान अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

1021

201

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) **आधारिक तंत्र**

(क) संस्थान के पास नितांतः और भली-भांति सीमांकित कम से कम तीन हजार वर्गमीटर भूमि होगी जिसमें से क्लासरूमों आदि से युक्त निर्मित क्षेत्र कम से कम दो हजार वर्गमीटर होगा जिसमें बीएड कक्षाओं के एक यूनिट क लिए अभिप्रेत स्थान शामिल होगा। प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में स्थान प्रत्येक छात्र के लिए दस वर्गफुट का स्थान होगा। बीएड कार्यक्रम के लिए निर्धारित आधारिक सुविधाओं के अलावा सौ अथवा दो सौ छात्रों के दाखिले के लिए संस्थान के पास एक क्लासरूम, एक संगोष्ठी कक्ष तथा शैक्षणिक संकाय के लिए अलग-अलग कमरे/केबिन होने चाहिए।

शिक्षा के ऐसे विश्वविद्यालय विभागों के मामले में जो बी.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश नहीं कर रहे हैं एमएड पाठ्यक्रम के लिए नितांततः आबंटित पांच सौ वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र सहित पर्याप्त भूमि जरूरी होगी।

(ख) एम.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)
बी.एड. तथा एम.एड.	2000 वर्गमीटर	3000
डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3000 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	3500 वर्गमीटर	3500
डी.एल.एड. तथा डी.ई.सी.एड. तथा बी.एड. तथा एम.एड.	4000 वर्गमीटर	4000

एम.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए दो सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) दाखिल किए जाने वाले पच्चीस छात्रों के लिए अनुदेशात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए कम-से-कम एक क्लासरूम, एक हॉल/संगोष्ठी कक्ष, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होगी, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के

1022

लिए अलग-अलग कक्ष होंगे जिनमें सात से आठ छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय और एक स्टोर की व्यवस्था होगी।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

(ङ.) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि बाधामुक्त होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

(छ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए संगत पाठ्य तथा संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) सहित कम-से-कम दो हजार पुस्तकें (किसी भी एक पुस्तक की पांच से अधिक प्रतियां नहीं होगी) और कम-से-कम पांच व्यावसायिक अनुसंधान पत्रिकाएं जिनमें से कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होगा तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय संसाधनों में राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकें आर पत्रिकाएं शामिल होंगी। पुस्तकालय में पढ़ने और संदर्भ के लिए ऐसा प्रावधान भी होगा कि कम से कम दस व्यक्ति एक ही समय में बैठ सकें। पुस्तकालय में प्रति वर्ष कम से कम सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के प्रयोग के लिए फोटोकापी मशीन तथा इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध रहेंगे। बेहतर हो कि प्रत्येक संस्थान की अपनी स्वयं की वेबसाइट भी हो।

(ख) प्रोजेक्शन और साफ्टवेयर के लिए जिसमें डीवीडी तथा सीडी शामिल होंगे टी.वी., कैमरा तथा एलसीडी सहित एक सुसज्जित शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा मीडिया प्रयोगशाला होगी।

(ग) अध्यापक शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करने के लिए जरूरी आरओटी (केवल प्राप्ति टर्मिनल), एसआईटी (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) आदि जैसे आईसीटी उपकरण वांछनीय होंगे।

(घ) पाठ्यचर्या में सूचीबद्ध प्रयोग करने के लिए उपकरणों सहित एक मनोविज्ञान प्रयोगशाला होगी।

1023

(3) साधन

(क) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी जिसमें छात्रों और अध्यापकों के लिए क्लासरूमों, हालों, प्रयोगशालाओं में डैस्क, कुर्सियां और मेजें, बुक शैल्फ शामिल होंगे।

(ख) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

(ग) स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला शौचालय उपलब्ध कराए जाएंगे।

(घ) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ड.) कैन्टीन, टेलीफोन सुविधा, वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(च) परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6 पाठ्यचर्या संचालन

(i) किसी एक अनुमोदित विषय पर शोध-प्रबंध की प्रस्तुति अनिवार्य होगी।

(ii) शोध-प्रबंध संबंधी मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक अध्यापक प्रशिक्षक के साथ एम.एड. के अधिक से अधिक पांच छात्र संबद्ध किए जाएंगे।

(iii) बी.एड./डी.एड. छात्रों द्वारा प्रस्तुत पाठों का पर्यवेक्षण।

(iv) बी.एड./डी.एड. कक्षाओं में शिक्षणात्मक डिजाइन प्रस्तुत करना और पांच अभ्यास लेक्चर देना।

(v) अध्यापक शिक्षा संस्थान का एक मामला अध्ययन तैयार करना।

(vi) श्रृव्य स्क्रिप्टिंग तथा दृश्य स्क्रिप्टिंग की रिकार्डिंग और शूटिंग, डिजिटल पाठ डिजाइनिंग, वेब-डिजाइनिंग।

7 सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में अध्यापक शिक्षा में एक या एकाधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो खेल के मैदान, बहुदेशीय हाल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों में आनुपातिक वृद्धि सहित) तथा शिक्षणात्मक स्थान जैसी सुविधाओं का साझा प्रयोग किया जा सकता है। पूरे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा संस्थान द्वारा जिन विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश की जा रही है उनके अध्यक्ष होने चाहिए। एम.एड. पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कालेज का प्रिंसीपल प्रोफेसर के वेतनमान में होगा और उसके पास इन विनियमों में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए।

1024

परिशिष्ट - 6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) एक ऐसा व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक स्तर अर्थात प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक तैयार करना है।

2 **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर एक सप्ताह में कम से छत्तीस कामकाजी घंटे सहित कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रत्येक वर्ष के लिए पचास छात्रों का बुनियादी यूनिट होगा।

(2) **पात्रता**

(क) कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक स्कूल (10+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास करना जरूरी है। पचास प्रतिशत की ढील उन अभ्यर्थियों के मामले में दी जाएगी जिन्होंने कम से कम अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई/खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया है अथवा जिन्होंने अंतःक्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किया है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के वर्गों के लिए अर्हक परीक्षा में अंकों के प्रतिशत में ढील तथा सीटों में आरक्षण केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिला प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेलकूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

1025

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 **स्टाफ**

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (पचास अथवा उससे कम छात्रों के बेसिक यूँनिट के लिए तथा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ अथवा इससे कम की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रोफेसर/अध्यक्ष - एक

लेक्चरर - छः

(ii) दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों के लिए जोकि पचास छात्रों की गुणक में होंगे पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए छह की वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक मौके पर एक बुनियादी यूनिट के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। तथापि, किसी भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक संस्थान में सभी शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रमों को मिलाकर दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या तीन सौ से अधिक नहीं होगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पाठ्यक्रम अन्य सामान्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाएंगे।

(iii) अध्यापकों की नियुक्ति इस प्रकार बांटी जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण पाठ्यक्रमों/विषयों तथा क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित प्रकृति और स्तर की विशेषज्ञता सुनिश्चित हो सके।

स्थायी लेक्चररों के अलावा कम से कम चार अलग-अलग खेलों/खेलकूद में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेषज्ञ खेलकूद प्रशिक्षक कोचों की नियुक्ति की जाएगी।

(II) **अर्हताएं**

प्रिंसीपल

(i) शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

1026

(ii) किसी शारीरिक और प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

अध्यक्ष

(i) शैक्षणिक और व्यवसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं।

(ii) किसी शारीरिक और प्रशिक्षण संस्थान में लेक्चरर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

लेक्चरर

कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित एमपीएड

अथवा

कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बीपीएड तथा किसी मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल में स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के रूप में अथवा किसी अन्य नाम से आठ वर्ष का अनुभव

खेलकूद प्रशिक्षक (अंशकालिक) कम से कम एक खेल/खेलकूद में विशेषज्ञता सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री

(III) तकनीकी सहयोगी स्टाफ

(क) संख्या

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष - 1

(ii) भौतिक चिकित्सक - 1

(iii) ग्राउंडमेन/मार्कर/सहायक - 2

(iv) संगीत अध्यापक/बैंडमास्टर - 1 (अंशकालिक)

(v) आईसीटी अनुदेशक - 1 (अंशकालिक)

(vi) तकनीकी सहायक - 1 (अंशकालिफ)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

(IV) प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) कार्यालय सहायक - 1 कंप्यूटर पर काम करने के कौशल सहित

(ii) कार्यालय सहायक - एक

(iii) स्टोरकीपर - एक

(iv) सहायक/परिचर - दो

(v) तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) - एक

(ख) अर्हताएं

संबंधी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

(V) सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) इन पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीय/संबंधित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर की जाएंगी।

(ख) अंशकालिक को छोड़कर सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालित कोचों तथा अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सरकारी/बोर्ड के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/बोर्ड द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए खोले गए कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) संस्थान अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार प्रशासन की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक सुविधाएं

(क) इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधकवर्ग/संस्थान के कब्जे में आवेदन करते समय मालिकाना आधार पर अथवा सरकार से पट्टे के आधार पर नितांतः और भलीभांति सीमांकित कम से कम पांच एकड़ भूमि और उस पर बना हुआ भवन होना चाहिए।

(ख) दाखिल किए जाने वाले प्रत्येक यूनिट के लिए कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, एक बहुद्देशीय प्रयोगशाला, संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों,

1028

b201

प्रिंसीपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कक्षों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर का प्रावधान होना चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्गफुट का स्थान होना चाहिए। दो हजार वर्गफुट के समग्र क्षेत्र में बने हुए बहुद्देशीय हाल में एक डायस सहित दो सौ व्यक्तियो के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ग) बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय मैदान, कम से कम दो सौ मीटर लम्बा ट्रैक तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए

(ङ.) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के लिए अनुकूल होने चाहिए।

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा कुछ आवासीय क्वार्टर वांछनीय हैं।

(2) शिक्षणात्मक

(क) संस्थान के पास समुचित बाड़े सहित कम से कम पांच एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए और खेल तथा खेलकूद के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र एक हजार दो सौ वर्गमीटर से कम नहीं होगा। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित पांच एकड़ से कम हो सकती है सुनिश्चित की जाएगी।

डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

केवल डी.पी.एड. - 1200 (एक हजार दो सौ)वर्गमीटर

डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. - 2700 (दो हजार सात सौ)वर्गमीटर

बी.पी.एड. तथा डी.पी.एड. तथा एम.पी.एड.- 3900 (तीन हजार नौ सौ) वर्गमीटर

डी.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ख) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच

1029

पत्रिकाएं जिसमें राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पुस्तकों और पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और छात्र अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

(ग) **प्रयोगशालाएं**

(घ) **शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा आईसीटी का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जरूरी शैक्षिक साफ्टवेयर जिसमें निम्न शामिल होंगे-

सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, टेप रिकार्डर, टीवी सेट, एलसीडी प्रोजेक्टर, एक ऐपीडियास्कोप, निदर्शन बोर्ड (तीन) तथा मूवी कैमरा तथा इंटरनेट संयोज्यता से युक्त कम से कम 10 पीसी।

विभिन्न खेलकूद/खेल/कौशल शिक्षण के लिए आरओटी (रिसीव्ड ओनली टर्मिनल), एसआईटी (सैटेलाइट इंटरलिंकिंग टर्मिनल), स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोकापी मशीन, सीडी/डीवीडी/रोम (20) उपलब्ध होंगे।

(ङ.) **शरीरचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला**

मानवीय कंकाल (1 वर्णित तथा 2 अवर्णित)	
यकृत का भार मापने वाली मशीन	- एक
मानवमितीय किट	- एक
वृद्धि-चार्ट तथा शारीरिक प्रणाली चार्ट	- दस
वांछनीय भार और लंबाई तालिकाएं	- दो
स्किनफोल्ड कैलिपर	- दो
श्वसनमापी	- दो
होमोग्लोबीनोमीटर	- एक
ग्रिमडायनोमीटर	- दो
जीनियोमीटर	- दो
पीडोमीटर	- दो
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट बेंच	- दो
मेट्रोनोम	- दो
बीपी उपकरण (स्फिगमोमैनोमीट्रर तथा स्टेथोस्कोप और स्टाप वाच)	- दो

(3) **खेलकूद और क्षेत्र उपकरण**

खेलकूद और क्षेत्र उपकरण निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगेः

1030

(क) ऐथेलेटिक्स

बाधाएं, आरंभ खटका, मापक टेप (इस्पात) पंद्रह मीटर, मापक टेप (इस्पात) तीस मीटर, मापक टेप (इस्पात) पचास मीटर, मापक टेप (इस्पात) सौ मीटर, ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर), स्टाप वाच, स्टार्टिंग ब्लाक, ऊंची छलांग स्टैंड (एक जोड़ा और छः क्रास बार), वाल्टिंग बाक्स, डिसकस- पुरुषों और महिलाओं के लिए, शाप-पुट- पुरुषों और महिलाओं के लिए, हैमर (पुरुषों और महिलाओं के लिए), स्टाप-बोर्ड , प्रतियोगिता के अंत में निर्णायकों के लिए स्टैंड, फ्लैग पोल, जेवलिन-पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमीनियम सहित), टेक आफ बोर्ड, गद्दे, भार प्रशिक्षण सेट (मैट्स), ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग।

(ख) खेल

बैडमिंटन पोस्ट, बैडमिंटन जाल, बैडमिंटन रैकेट, चिड़िया, बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड, बास्केटबाल बाल, बास्केटबाल जाल, क्रिकेट के बैटिंग पैड, क्रिकेट के बैटिंग दस्ताने, एबडामिनल गार्ड, हेलमेट, विकेटकीपिंग के दस्ताने, विकेटकीपर का लेग गार्ड, स्टंप, बेल्ज, क्रिकेट बाल, फुटबाल पोस्ट, फुटबाल, फुटबाल गोल पोस्ट नेट, झंडों सहित पोस्ट, जिमनेस्टिक उपकरण (पुरुषों के लिए), वाल्टिंग टेबल/हार्स, बीट बोर्ड, पैरेलल बार, हारीजेंटल बार, रोमन रिंग्स, प्यूमल्ड हार्स, जिमनेस्टिक्स एपरेटस (महिलाओं के लिए), अनईवन बार, बैलेंस बीम (एडजस्टेबल), जिमेनेस्टिक गद्दे, हैंडबाल पोस्ट, हैंडबाल-बाल, हैंडबाल गोल पोस्ट जाल, हाकी पोस्ट, हाकी बाल, हाकी स्टिक, हाकी गोलकीपिंग किट, खो-खो पोल, लान टेनिस पोस्ट, टेनिस बाल, टेनिस रैकेट, टेबल टेनिस बाल, बालीवाल पोस्ट, वालीबाल, वालीबाल जाल, वालीबाल एंटीना, भार प्रशिक्षण छड़ें, भार प्लेटें ढाई किग्रा, पांच किग्रा, दस किग्रा, बीस किग्रा, कालर, बेंच, भार स्टैंड, एक बहुजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन), भार बेल्ट और भार जैकेट।

(ग) स्वदेशी क्रियाकलापों/विशाल निदर्शन के लिए उपकरण

लेजिम पचास, डंबल पचास जोड़े, भारतीय मुदगर पचास जोड़े, फ्लैग, हूप, वैंड, बाल, अंब्रेला, कूदने की रस्सी आदि। भौतिक क्रियाकलापों/निदर्शन/मार्शल कलाओं के लिए निदर्शन उपकरण।

(घ) व्यायाम उपकरण

बीट बोर्ड, पैरलल बार, हारीजोंटल बार, ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां (6), संतुलन बीम (समायोज्य सेट), वाल्टिंग हार्स; मैट्स (एक दर्जन कॉयर+ एक दर्जन रबड़), भारोत्तोलन सेट/पावरलिफ्टिंग सेट।

1031

टिप्पणीः खेलकूद के सभी उपकरण ऐसे होने चाहिए जोकि राष्ट्रीय खेलकूद संघ अथवा अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद संघों द्वारा निर्धारित मानदंडों की पूर्ति करते हों।

(4) **सांस्कृतिक क्रियाकलाप**

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

(5) **विविध**

बड़े खेलों, छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू क्रियाकलापों के लिए जरूरी अन्य उपकरण

(6) **साधन**

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) संस्थान महिला और पुरुष अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग कामनरूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में टायलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, जल और टायलेट सुविधाओं की नियमित सफाई तथा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत तथा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी।

6 **(क) सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

(ख) प्रबंधन समिति

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट - 7

शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मुख्यतः उच्च माध्यमिक/(कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (कक्षा IX और X कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापक तैयार करना है।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

बी.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष अथवा दो सेमेस्टर की होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

दाखिले और परीक्षा आदि की अवधि को छोड़कर कम से कम दो सौ कार्यकारी दिवस होंगे। संस्थान (पांच अथवा छह दिन) के सप्ताह में कम से कम छत्तीस घंटे क़ाम करेगा।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

पचास-पचास छात्रों के दो सेक्शनों सहित सौ छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

(2) **पात्रता**

पचास प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

अथवा

एक प्रमुख विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा में पचास प्रतिशत अंकों सहित स्नातक डिग्री।

अथवा

पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में पचास प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री

अथवा

पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री अथवा एक प्रमुख विषय के रूप में पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा से युक्त स्नातक डिग्री तथा एआईयू अथवा आईओए द्वारा मान्य खेलकूदों में राष्ट्रीय/अखिल भारतीय अंतर्विश्वविद्यालय/ अंतर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता।

अथवा

प्रतिनियुक्ति पर (सेवारत उम्मीदवार अर्थात प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा अध्यापक कोच) पैंतालीस प्रतिशत अंकों सहित और कम से कम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव सहित स्नातक।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के पक्ष में अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, खेलकूद दक्षता परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा तथा अर्हक परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा विश्वविद्यालय/राज्य सरकार की नीति के अनुसार शारीरिक स्वस्थता/दक्षता को समुचित भारिता प्रदान करते हुए किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) **शैक्षणिक**

(i) संख्या (100 छात्रों के लिए बुनियादी यूनिट)

प्रिंसीपल - एक

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर - आठ (एक लेक्चरर एमबीबीएस डिग्री सहित अथवा शरीररचनाविज्ञान, भौतिक चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य शिक्षा में मास्टर डिग्री सहित होना चाहिए और बाकी 7 लेक्चरर शारीरिक शिक्षा में होने चाहिए।

(ii) खेलकूद प्रशिक्षक - तीन (अंशकालिक)

टिप्पणी: 4.0.(I)(i) सौ छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए पूर्णकालिक अध्यापक प्रशिक्षकों की संख्या में शारीरिक शिक्षा में आठ लेक्चरर की वृद्धि की जाएगी।

(iii) शारीरिक शिक्षा में अध्यापकों की नियुक्ति इस तरह की जाएगी जिससे कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों/विषयों तथा क्रियाकलापों के शिक्षण के लिए विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(iv) कम से कम तीन अंशकालिक विशेषज्ञताप्राप्त व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिन्होंने प्रतियोगी खेलकूद के प्रशिक्षण के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शारीरिक शिक्षा डिग्री में किसी खेलकूद में विशेषज्ञता प्राप्त की हो।

(II) अर्हताएं

प्रिंसीपल/अध्यक्ष

(i) पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित अर्थात ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ के पांच बिंदुओं के माप में बी ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएचडी अथवा शारीरिक शिक्षा में समतुल्य प्रकाशित कार्य

(iii) दस वर्ष का शिक्षण अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव किसी शारीरिक शिक्षा कालेज का होना चाहिए।

टिप्पणी:

(i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रिंसीपल/अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में शारीरिक शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रिंसीपल/अध्यक्ष को, एक समय में अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए, जब तक कि उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर लें संविदा के आधार पर नियुक्त करने की अनुमति होगी।

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों अथवा समतुल्य ग्रेड सहित एमपीएड डिग्री

(ii) प्रिंसीपल, लेक्चरर के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

खेलकूद प्रशिक्षक - अनिवार्य

किसी एक विशिष्ट खेलकूद अथवा खेल में विशेषज्ञता सहित बीएससी (पीईएचईएस) सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बीपीएड)

वांछनीय

कोचिंग में डिप्लोमा वांछनीय होगा।

1075

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

(क)

(i) पुस्तकालयाध्यक्ष	- एक
(ii) भौतिकचिकित्सक	- एक
(iii) ग्राउंडमेन/मार्कर/हेल्पर	- दो
(iv) संगीत अध्यापक/बैंडमास्टर	- एक (अंशकालिक)
(v) आईसीटी अनुदेशक	- एक (अंशकालिक)
(vi) तकनीकी सहायक	- एक (अंशकालिक)

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

(IV) **प्रशासनिक स्टाफ**

(i) लेखा सहायक	- एक
(ii) कार्यालय सहायक	- एक
(iii) स्टोरकीपर	- एक
(iv) सहायक/परिचर	- दो

(V) **अर्हताएं**

संबंधित राज्य सरकार, संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित

(VI) **सेवा की शर्तें और उपबन्ध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक कोचों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते

1036

में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

5 सुविधाएं

(1) आधारिक तंत्र

(क) संस्थान में कम से कम दो क्लासरूमों, एक बहुद्देशीय हाल, संगोष्ठी/ 10 ट्यूटोरियल विशेषज्ञता कक्षों, प्रिंसीपल तथा संकाय सदस्यों के लिए अलग-अलग कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था होनी चाहिए। क्लासरूमों, प्रयोगशाला, पुस्तकालयों आदि जैसे प्रत्येक शिक्षण कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। बहुद्देशीय हाल में डायस सहित दो सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में दो सौ व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।

(ख) बी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः

केवल बी.पी.एड.	1500 वर्गमीटर
बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड.	2700 वर्गमीटर
बी.पी.एड. तथा डी.पी.एड. तथा एम.पी.एड	3900 वर्गमीटर

बी.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए प्रत्येक यूनिट के लिए पांच सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ग) बाह्य खेलकूद के लिए एक बहुद्देशीय खेल का मैदान, चार सौ मीटर लम्बा एथलेटिक ट्रैक (महानगरों के मामले में दो सौ मीटर) तथा व्यायाम और इन्डोर खेलों और खेलकूदों के लिए एक हाल होना चाहिए। महानगरीय कस्बों/पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खुले स्थान की उपलब्धता दुष्कर होती है, अन्य संस्थानों के साथ इनका साझा प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होना चाहिए।

(ङ.) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

1037

8(7)

(च) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणी: मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 1 अप्रैल, 2012 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान के पास समुचित बाड़े सहित कम से कम आठ एकड़ भूमि होनी चाहिए जिसमें से संस्थानगत भवन के लिए पर्याप्त स्थान तथा भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए खेलकूद और खेल आयोजित करने के लिए मुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। क्लासरूम आदि सहित निर्मित क्षेत्र पंद्रह सौ वर्गमीटर से कम नहीं होना चाहिए। यह स्थिति पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जहां कुल भूमि में से कम से कम दो एकड़ भूमि प्रशासनिक भवन के लिए और तीन एकड़ भूमि खेल-कूद/खेल सुविधाओं के लिए होनी चाहिए। अतिरिक्त यूनिट के लिए निर्मित क्षेत्र में तीन हजार वर्गफुट की वृद्धि की जानी होगी। सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मिलाकर संस्थान में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या तीन सौ रहेगी। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्य अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ नहीं चलाए जाएंगे। अधिक से अधिक दाखिल किए जाने वाले छात्रों की क्षमता तीन सौ छात्रों तक होने की स्थिति में सभी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आठ एकड़ भूमि काफी है। तथापि प्रत्येक अतिरिक्त दाखिले के लिए निर्मित क्षेत्र में तीन हजार वर्गफुट की वृद्धि की जानी होगी। प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, खेल-कूद सुविधाओं का साझा प्रयोग उसी परिसर में चलाए जा रहे अन्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ किया जा सकता है।

(ख) संस्थान के पास छात्र अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय कार्य और अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के निमित्त समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में (पांच-दस) मान्यताप्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सुविधा सहज उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में एक आश्वासन प्राप्त किया जाना चाहिए। बेहतर हो कि संस्थान के पास स्वयं अपने नियंत्रण में एक संबद्ध स्कूल हो।

(ग) अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकों और सन्दर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोषों, अब्दकोषों, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशनों (सीडी रोम) तथा शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर कम से कम पांच पत्रिकाओं से युक्त एक पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा। पुस्तकालय में संकाय और प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के प्रयोग के लिए फोटोकापी सुविधा और इन्टरनेट सुविधा सहित कम्प्यूटर सुविधा होगी।

1038

(घ) संस्थान के पास इन्डोर खेलकूदों, आउटडोर खेलकूदों तथा शारीरिक क्रियाकलापों, खेलकूद चिकित्सा प्रयोगशाला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला, शरीर रचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स तथा खेलों के लिए खेलकूद और क्षेत्रीय उपकरण तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित और नीचे अनुशंसित उपकरण तथा सुविधाएं होनी चाहिए।

(ड.) **प्रयोगशालाएं**

स्थान के पास निम्न पैराग्राफों के अनुसार विभिन्न अतिरिक्त प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण तथा सुविधाएं होंगी।

(च) **आईसीटी तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला**

डिजिटल कैमरा, प्लाज्मा टी.वी., डीवीडी रिकॉर्डर तथा प्लेयर, रॉट (केवल रिसीव्ड टर्मिनल) सिट (उपग्रह इंटरलिंकिंग टर्मिनल), स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटो कॉपियर मशीन, विभिन्न खेल-कूदों/खेल/कौशल शिक्षण के लिए सीडी/डीवीडी/रॉम (बेहतर हो कि प्रत्येक खेल-कूद क्रियाकलाप के लिए एक-एक हो) मीडिया प्रोजेक्टर, वीडियो कैमरा (हैंडीकैम डिजिटल) डेस्कटाप (टीएफटी), कलर प्रिंटर, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली निदर्शन बोर्ड (3x2), पंद्रह डेस्कटापों (टीएफटी) तथा इंटरनेट सहित कंप्यूटर प्रयोगशाला, शिक्षण संकाय सदस्य के लिए लेपटाप।

(छ) **प्रयोगशाला उपकरण**

स्थान के पास निम्न प्रयोगशालाओं के लिए नीचे बताए अनुसार उपकरण और सुविधाएं होनी चाहिए:

(i) **शरीररचनाविज्ञान, शरीरक्रियाविज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशालाः**

हीमोग्लोबिन मीटर- एक

श्वसनमापी (वैट)- दो

मानवीय कंकाल - एक
भार मापने वाली मशीन - एक
सभी प्रणालियों को दर्शाने वाले मानवीय शरीर की प्रणाली के चार्ट (शरीर की प्रत्येक प्रणाली के लिए कम से कम एक अलग चार्ट)- कम से कम दस
मानवीय शरीर अंग/प्रणाली मॉडल
खाद्य पोषण चार्ट
संचारी तथा गैर संचारी रोग
चार्ट

1039

सड़क सुरक्षा युक्ति चार्ट
प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (प्रारंभिक और उन्नत) उँचाई और भार चार्ट

(ii) **मानवीय निष्पादन प्रयोगशाला**

पीक फ्लो मीटर, शुष्क स्पाइरोमीटर, पेडोमीटर, हीयर रेट मॉनीटर, स्टॉप वॉच (एक सेकंड के एक बटा सौवें तक का इलेक्ट्रॉनिक मापन समय), ग्रिप डायनेमोमीटर, बैक एंड लेग डायनेमोमीटर, गोनियोमीटर, एन्थ्रोपोमीटर रॉड्स, स्लाइडिंग कैलिपर, स्किनफोल्ड कैलिपर, इस्पात के टेप, बी.पी. उपकरण (स्फाइगमोमैनोमीटर तथा स्टेथेस्कोप) हारवर्ड स्टेप टेस्ट बैंच, वॉल थर्मोमीटर तथा बैरोमीटर, मेट्रोनोम, फ्लैक्सोमैजर, फिंगर डैक्सटरिटि टेस्ट, रिएक्शन टाइम उपकरण (श्रव्य और दृश्य), फूड एंड हैंड रिएक्शन टाइम उपकरण, वाइब्रेटर

(iii) एथलेटिक देखभाल और पुनर्वास प्रयोगशाला

अवरक्त लैंप, नैदानिक टेबल, निर्जीवाणुकरण यूनिट, प्राथमिक उपचार बक्सा (प्रारंभिक और उन्नत), रक्तचाप उपकरण, (स्फाइगमोमैनोमीटर तथा स्टेथेस्कोप) थर्मामीटर, (नैदानिक) अल्ट्रासाउंड चिकित्सा यूनिट, व्हील चेयर, दृष्टि चार्ट, क्लच, भार मापन मशीन, बर्फ का बक्सा, स्ट्रेचर।

(iv) **वांछनीयः खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला**

कम से कम दस मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की परीक्षा करने के लिए उपकरण (रेटिंग स्केलों और मैनुअलों सहित)।

(ज) **खेलकूद और मैदान के उपकरण**

(i) **एथेलेटिक्स**

बाधाएं (तीस), आरंभ खटका (दो) मापक टेप (इस्पात) पंद्रह मीटर (एक) मापक टेप (इस्पात) तीस मीटर (दो) मापक टेप (इस्पात) पचास मीटर (एक) मापक टेप (इस्पात) सौ मीटर (एक) ट्रैक पर निशान लगाने के लिए तार (पचास मीटर) (एक), स्टाप वाच दस लैप मेमोरी सहित (छह) स्टार्टिंग ब्लाक (बीस) ऊंची छलांग स्टैण्ड (एक जोड़ा तथा छः क्रास बार) (एक जोड़ा), वाल्टिंग बक्सा (एक) चक्का-पुरुषों और महिलाओं के लिए (दोनों के लिए छह-छह), शाटपुट - पुरुषों और महिलाओं के लिए (दोनों के लिए

1040

छह-छह), तारगोला (पुरुषों और महिलाओं के लिए) (दोनों के लिए तीन-तीन) स्टाप बोर्ड (दो), प्रतियोगिता के अन्त में निर्णायकों के लिए स्टैण्ड (दो), फ्लैग पोल (छह), जैवलिन पुरुषों और महिलाओं के लिए (दो एल्यूमिनियम सहित पांच-पांच), टेक आफ बोर्ड (दो), गद्दे (चालीस), भारोत्तोलन सेट (ओलंपिक सेट)ऊंची छलांग के लिए लैंडिंग तथा रिले बैटन (बारह)

(ii) खेल

बैडमिंटन पोस्ट (दो सेट), बैडमिंटन जाल (छह) बेडमिंटन रेकेट, शटलकॉक (दस बैरल), बास्केटबाल स्टैंड तथा बोर्ड (दो सेट), बास्केटबाल बाल (एक दर्जन),बास्केटबाल नेट (चार जोड़े), क्रिकेट बैटिंग पैड (तीन सेट) क्रिकेट बैंटिग दस्ताने (तीन सेट), एबडामिनल गार्ड (तीन) हेलमेट (तीन), विकेटकीपिंग दस्ताने (दो जोड़े), विकेटकीपर लेग गार्ड (दो जोड़े), विकेटें (बारह) बेल्ज(दस), क्रिकेट बाल, फुटबाल पोस्ट (दो सेट), फुटबाल, फुटबाल जाल(चार सेट) फ्लैग सहित पोस्ट (आठ), हैंडबाल पोस्ट (दो सेट), हैंडबाल-बाल (एक दर्जन), डबाल जाल (चार जोड़े), हाकी पोस्ट (दो सेट), हाकी बाल (दस दर्जन), हाकी स्टिक (तीस), हाकी गोलकीपिंग किट (एक), खो-खो पोल (दो सेट), लान टेनिस पोस्ट (दो), टेनिस बाल, टेनिस रेकेट, टेबल टेनिस बाल (दस दर्जन), वॉलीबॉल पोस्ट (दो सेट), वॉलीबोल (बीस), वॉलीबाल जाल (चार), एंटीना (चार), भार प्रशिक्षण राड (दस), भार प्लेटें ढाई किग्रा., पांच किग्रा., दस किग्रा., पंद्रह किग्रा., बीस किग्रा. (प्रत्येक दस-दस), कालर (बीस) बेंच (चार), वेट स्टैंड (दो), स्क्वैट स्टैंड (एक), एक मल्टीजिम अथवा अलग स्टेशन-वार (कम से कम दस स्टेशन) वेट जैकेट तथा वेट बैल्ट

(iii) स्वदेशी क्रियाकलापों के लिए उपकरण

लेजिम (पचास जोड़े), डम्बल (पचास जोड़े), भारतीय मुदगर(पचास जोड़े), शारीरिक क्रियाकलापों के लिए फ्लैग हूप तथा हल्के उपकरण, मार्शल कलाओं के लिए जरूरत के अनुसार निदर्शन/प्रदर्शन उपकरण।

(iv) व्यायाम उपकरण

पैरेलल बार (एक सेट), अनईवन पैरेलल बार (एक सेट), हारिजन्टल बार (एक सेट), दो रोमन रिंग्स (एक सेट), ऊपर चढ़ने वाली रस्सियां (मनीला)(छह), चटाइयां (बारह रबड़ और बार क्वायर), सन्तुलन बीम (समायोज्य सेट)(एक सेट), प्यूमल्ड

हार्स (एक सेट), मल्टीजिम (बारह स्टेशनों से युक्त) (एक सेट), वाल्टिंग टेबल (एक सेट), बीट बोर्ड (दो), क्रैश मैट्स (एक)।

(v) **सांस्कृतिक क्रियाकलाप**

जरूरत के अनुसार उपयुक्त और पर्याप्त वाद्ययंत्र उपलब्ध कराए जाने चाहिए। छोटे खेलों, मनोरंजनात्मक खेलों, रिले और लड़ाकू खेल के लिए आवश्यकता के अनुसार अन्य उपकरण जरूरत और विशेषज्ञता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

(3) **साधन**

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी ।

(ii) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए अलग-अलग कॉमन रूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए समुचित संख्या में अलग-अलग पुरुष और महिला टॉयलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, पानी और टॉयलेट सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

6 (क) **सामान्य**

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है।

(ख) **प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

1042

परिशिष्ट - 8

शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

(1) शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड.) एक व्यावसायिक शारीरिक अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य उच्च माध्यमिक स्तर के लिए और साथ ही कालेजों में लेक्चरर/निदेशक/खेल-कूद अधिकारी, शारीरिक शिक्षा कालेजों और शारीरिक शिक्षा के विश्वविद्यालय विभागों में अध्यापक प्रशिक्षक तैयार करना है।

(2) केवल ऐसे विश्वविद्यालय/विभाग अथवा संस्थान इस पाठ्यक्रम की पेशकश कर सकते हैं जोकि बी.पी.एड. कार्यक्रम चला रहे हैं।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

एम.पी.एड. कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष अथवा चार सैमस्टर होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

परीक्षा और दाखिले आदि की अवधि छोड़कर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो सौ दिन/प्रत्येक सैमस्टर में सौ कार्यकारी दिवस होंगे। संस्थान प्रत्येक सप्ताह (पांच अथवा छह दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा।

3 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रत्येक वर्ष दाखिल किए जाने के लिए चालीस छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा।

(2) **पात्रता**

(क) कम से कम पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.पी.एड. डिग्री/अथवा शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल-कूद में बी.एससी. डिग्रीधारी अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए सीटों में आरक्षण अथवा अर्हक अंकों में ढील केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगी।

1643

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

दाखिले, प्रवेश परीक्षा (लिखित परीक्षा, शारीरिक स्वस्थता परीक्षा, इंटरव्यू तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक) में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के आधार पर किए जाएंगे।

(4) **फीस**

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

4 स्टाफ

(I) **शैक्षणिक**

(क) संख्या (दाखिल किए जानेवाले चालीस या दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए अस्सी छात्रों की संयुक्त क्षमता के लिए)

प्रोफेसर	- एक
सह-प्रोफेसर/रीडर	- तीन
लेक्चरर	- पांच
खेल-कूद प्रशिक्षक	- तीन (अंशकालिक)

अध्यापकों की अर्हताएं ऐसे अध्ययन के क्षेत्रों में होंगी जैसे कि खेलकूद मनोविज्ञान, व्यायाम शरीर क्रियाविज्ञान, बायो मैकेनिक्स, एथलेटिक्स देखभाल और पुनर्वास, खेलकूद प्रबंध, मापन-मूल्यांकन, खेलकूद प्रशिक्षण, व्यावसायिक तत्परता अथवा निम्न खेलकूद विशेषज्ञताओं में से किसी एक सहित पाठ्यचर्या में सम्मिलित किसी अन्य विषय जैसे आधारिक पाठ्यक्रमः

(i) एथलेटिक्स

(ii) जिम्नास्टिक्स

(iii) सामूहिक खेल

(iv) वैयक्तिक खेल

(II) <u>**अर्हताएं**</u>

(I) **प्रोफेसरः**

(i) पचपन प्रतिशत अंक अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

1044

(ii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

(iii) किसी विभाग/शारीरिक शिक्षा के कालेज में कम से कम दस वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष स्नातकोत्तर संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में बिताए हों।

(II) **सहप्रोफेसर/रीडर**

(i) पचपन प्रतिशत अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में अथवा किसी संगत विषय में मास्टर डिग्री

(ii) किसी विभाग/शारीरिक शिक्षा के कालेज में कम से कम पांच वर्ष का शिक्षण/अनुसंधान अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष स्नातकोत्तर स्तर पर बिताए हों।

(iii) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

टिप्पणीः

(i) पात्रता के उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार प्रोफेसर/रीडर की नियुक्ति के लिए पात्र और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में शिक्षा में सेवानिवृत्त प्रोफेसर/रीडर की सेवानिवृत्ति के पश्चात की सेवा में पैसठ वर्ष आयु पूरी कर लेने तक, एक समय में अधिक-से-अधिक एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी।

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंक अथवा इसके समतुल्य ग्रेड सहित शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री

(ii) लेक्चररों के पद के लिए यूजीसी/संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य शर्त अनिवार्य होगी।

खेलकूद प्रशिक्षक

(i) अनिवार्य

शारीरिक शिक्षा में डिग्री (बी.पी.एड.)/विशिष्ट खेल/खेलकूद सहित बी.एससी (पीईएचईएस)

(ii) वांछनीय

कोचिंग में डिप्लोमा

1045

(III) **तकनीकी सहयोगी स्टाफ**

बी.पी.एड. के लिए जरूरी स्टाफ के अलावा निम्न स्टाफ की जरूरत होगीः

(i) तकनीकी सहायक - दो
(कंप्यूटर प्रयोगशालाओं के अलावा स्टोर्स और प्रयोगशालाएं संभालते हैं)

(ii) कंप्यूटर सहायक - एक

(iii) हैल्पर/ग्राउंड मेन/मार्कर - दो

(iv) प्रयोगशाला परिचर - दो

(घ) **अर्हताएं:**

संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार/यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित मानदंडों के अनुसार।

(IV) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/संबंधन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय, इनमें से जो भी लागू हो, उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) तकनीकी तथा प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय/यूजीसी के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ (अंशकालिक स्टाफ सहित) को संबंधित सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार/विश्वविद्यालय की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

1046

5 **सुविधाएं**

(1) **आधारिक तंत्र**

(क) बीस-बीस छात्रों के बैठने की सुविधा सहित चार क्लासरूम (एम.पी.एड. के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों में से प्रत्येक के लिए दो-दो), डायस सहित दो हजार वर्गफुट के समग्र क्षेत्र से युक्त दो सौ व्यक्तियों के बैठने की सुविधा सहित एक बहुद्देशीय हाल, विशेषज्ञता कक्षाएं आयोजित करने के लिए पंद्रह छात्रों के लिए छोटे-छोटे चार कमरे संगोष्ठी/ट्यूटोरियल कक्षों, प्रोफेसर/अध्यक्ष, संकाय सदस्यों के लिए स्वतंत्र कमरों, प्रशासनिक स्टाफ के लिए एक कार्यालय तथा एक स्टोर की व्यवस्था की जाएगी। क्लासरूम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि जैसे प्रत्येक शिक्षणात्मक कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम दस वर्गफुट स्थान होगा।

एम.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलाकर अन्य पाठ्यक्रम चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार होगाः-

एम.पी.एड. सहित बी.पी.एड. - 2700 वर्गमीटर

डी.पी.एड. तथा बी.पी.एड. तथा एम.पी.एड. - 3900 वर्गमीटर

एम.पी.एड. के एक यूनिट के अतिरिक्त दाखिले के लिए क्रमशः चार सौ वर्गमीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की जरूरत होगी।

(ख) इन्डोर खेलकूदों के लिए एक बहुद्देशीय हाल/व्यायामशाला तथा आउटडोर खेलों के लिए सुविधाएं होंगी।

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होंगे।

(घ) भवन के सभी भागों में आग के जोखिम से बचाव के लिए सुरक्षोपाय होने चाहिए।

(ङ.) लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास तथा आवासीय क्वार्टर वांछनीय है।

टिप्पणीः मौजूदा मान्यताप्राप्त संस्थानों को आधारिकतंत्रीय जरूरतों का 1 अप्रैल, 2012 तक मौजूदा मानदंडों के अनुसार स्तरोन्नयन करना होगा।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) संस्थान के पास कम से कम आठ एकड़ भूमि होनी चाहिए जिससे कि संस्थान के भवन तथा भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान और खेल तथा खेलकूदों के आयोजन के लिए खुला स्थान जुटाया जा सके। क्लासरूमों आदि सहित निर्मित क्षेत्र कम से कम 1200 वर्गमीटर होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जहां कुल भूमि (कम से कम प्रशासनिक भवन के लिए दो एकड़ तथा खेलकूद/खेल सुविधाओं के लिए तीन एकड़) होगी।

1047

(ख) वाचनालयों की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय होगा जिसमें सभी विशेषज्ञताओं और पाठ्यक्रमों से संबंधित कम से कम दो हजार पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोश, इलैक्ट्रोनिक प्रकाशन (सीडी रोम) और कम-से-कम पांच पत्रिकाएं तथा इंटरनेट संयोज्यता की व्यवस्था होगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष कम-से-कम सौ उत्कृष्ट पुस्तकें शामिल की जाएंगी। पुस्तकालय में संकाय और छात्रों के प्रयोग के लिए फोटोकॉपी सुविधा और इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) प्रयोगशाला उपकरण

एम.पी.एड. कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान के पास बी.पी.एड. कार्यक्रम के अधीन उल्लिखित प्रयोगशालाओं के अलावा आगे दिए गए पैराग्राफों में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण और सुविधाएं होंगी:

(घ) व्यायाम शरीर क्रियाविज्ञान प्रयोगशाला

लैक्टेट एनालाइजर, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, मेटाबोलिक एनालाइजर,, पेडोमीटर, बी.पी. उपकरण (मैनुअल), स्किन फोल्ड कैलिपर, ड्राई स्पाइरोमीटर (पांच) हार्ट रेट मॉनीटर, मल्टी फंक्शन पेडोमीटर (दस), कंप्यूटराइज्ड ट्रैड मिल।

(ङ.) खेलकूद मनोविज्ञान प्रयोगशाला

ईएमजी बायोफीडबैक, व्यक्तित्व, चिंता, सामूहिक संसक्ति, आक्रमण, प्रेरण, मानसिक कठोरता, आत्मसम्मान, नियंत्रण का केंद्र पर प्रश्नावलियां तथा पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु की जरूरत के अनुसार अन्य प्रश्नावलियां, डैप्थ परसैप्शन उपकरण, पूर्वाभास मूल्यांकन उपकरण, फिंगर डैक्सटिरिटि परीक्षण

(च) खेलकूद बायोमेकेनिक्स प्रयोगशाला

फोर्स प्लेट (नवीनतम माड्यूल पूर्ण सेट) इलेक्ट्रॉनिक गोनीमीटर (नवीनतम माड्यूल) किसी भी समय के लिए, कहीं भी चाल विश्लेषण प्रणाली, वैकल्पिक दबाव प्लेट।

(छ) मापन और खेलकूद प्रशिक्षण प्रयोगशाला

डिजिटल बैक/एलइजीएल डायनेमोमीटर, डिजिटल हैंड ग्रिप डायनेमोमीटर (वयस्क और बच्चे) स्किन फोल्ड कैपिलर, एंथ्रोपोमीटरी किट (कंप्यूटर), स्लाइडिंग एंड स्प्रेडिंग, कैलिपर, गर्थ मापक - गोनीमीटर, इस्पात के टेप, फ्लेक्सोमेजर, हीयर रेट मॉनीटर, भार मापने की मशीन, रिएक्शन टाइम उपकरण (श्रव्य और दृश्य) फूड एंड हैंड रिएक्शन टाइम उपकरण, वाइब्रेटर

1048

6 साधन

(i) शिक्षणात्मक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए समुचित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) संस्थान पुरुष और महिला अध्यापक प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों के लिए अलग-अलग कामन रूम उपलब्ध कराएगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में पुरुषों और महिलाओं के टायलेट अलग-अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहनों को खड़े करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) परिसर, पानी और शौचालय सुविधाओं की नियमित सफाई के कारगर इंतजाम किए जाएंगे। फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की आवश्यक मरम्मत और भरपाई की जाएगी।

7 सामान्य

(क) यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य विभागों के लिए अध्यक्ष होंगे।

प्रबंधन समिति

(ख) संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, यदि कोई हो तो, एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

1049

परिशिष्ट - 9

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) प्राप्त कराने वाले प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक

1 प्रस्तावना

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आयोजित किया जाने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक/मिडिल) में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करना है। साथ ही इस पाठ्यक्रम में उन अध्यापकों को शामिल करने की परिकल्पना भी की गई है जिन्होंने औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण के बिना व्यवसाय में प्रवेश किया है।

(i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रारंभिक स्कूलों में फिलहाल सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली (ओडीएल) को एक उपयोगी और व्यवहार्य तरीके के रूप में स्वीकार करती है। यह तरीका अध्यापकों तथा स्कूली प्रणाली में सेवारत कई अन्य शैक्षिक कर्मियों को अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है।

2 पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट जैसेकि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र होंगे (समविश्वविद्यालय, कृषि अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय जोकि अध्यापक शिक्षा से इतर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कराते हैं तथा अन्य विषय क्षेत्र विशिष्ट विश्वविद्यालय/संस्थान ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र नहीं हैं।)

3 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिनियम में यथापरिभाषित अधिकारक्षेत्र होगा।

विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र भी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

4 अवधि

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

1050

5 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

डी.एल.एड. कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की बुनियादी इकाई इस शर्त के अध्यधीन पांच सौ छात्रों की होगी कि किसी एक सत्र में एक अध्ययन केंद्र अधिक से अधिक सौ छात्र दाखिल करेगा। किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट से संबंधित अनुरोध पर, राअशिप द्वारा अध्ययन केंद्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(2) **पात्रता**

(i) पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII) अथवा समतुल्य परीक्षा पास की हो

(ii) किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त प्राथमिक/प्रारंभिक स्कूल में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 **मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र स्तर पर संकाय**

(क) कार्यक्रम आयोजित करने वाले संस्थान के मुख्यालय में संकाय/स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

(i) ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी संगत विषयक्षेत्रों में तथा दो भाषाओं - अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में विशेषज्ञताप्राप्त नितांततः छह सदस्यों का एक कोर संकाय होगा।

संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

प्रोफेसर - एक

रीडर/सह-प्रोफेसर - एक

1051

लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर - चार

(ii) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(iii) इस कार्यक्रम के पांच सौ या उससे कम छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता बढ़ाई जाएगी।

(iv) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(v) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप के मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(ख) एक अध्ययन केन्द्र में अपेक्षित स्टाफ के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

समन्वयकर्ता एक

सहायक समन्यकर्ता एक

अंशकालिक शैक्षणिक सलाहकार

संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार की जाएगी जोकि बेहतर हो कि 1:50 के अनुपात में हो।

7 शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ की अर्हताएं

(क) शिक्षण स्टाफ

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(ख) मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे वर्णित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	एक
प्रभारी, आकलन और मूल्यांकन	एक
डाटाबेस बनाए रखने क लिए कंप्यूटर प्रचालक	एक
कार्यालय सहायक	एक
अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक	एक

105-2

8 **कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

9 **अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें**

(क) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद है। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(ख) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपने पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम एक सौ छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

(ग) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

1053

(घ) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(ड.) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार किया जाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

10 **भौतिक आधारिक-तंत्र**

(क) **मुख्यालय स्तर पर:** पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्यूबिकल, फोटोकापियरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के वास्ते कंप्यूटर प्रचालकों के लिए एक बड़ा कमरा, अधिगम सामग्री के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर जो पाठों को रिकार्ड करने तथा सीडी तैयार करने के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टुडियो से सुसज्जित हो तथा बैठकें/टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा सम्मेलन कक्ष।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के स्तर पर:** विज्ञान और मनोविज्ञान कार्यशालाएं, व्यावहारिक कार्य के लिए कार्यशाला, प्रविधि विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास स्कूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे/टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रृव्य-दृश्य प्लेयरों, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट केवल प्राप्ति (रौट) उपग्रह अथवा अन्योन्यक्रियापूर्ण (एसआईटी), एलसीडी आदि।

11 **पुस्तकालय**

(क) **मुख्यालय का पुस्तकालय**

समुचित संख्या में स्कूल तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, आईसीटी पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, प्रारंभिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिंदी/प्रादेशिक भाषा में समुचित मात्रा में स्व-शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी।

(ख) **अध्ययन केन्द्र का पुस्तकालय**

जिन संस्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थित है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क सत्रों के दौरान उनके पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

1054

12 शैक्षणिक इन्पुट

(क) **स्व-अधिगम सामग्रीः** यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) **संपर्क कार्यक्रमः** दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम 300 घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(ग) **शैक्षणिक परामर्शः** शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम 144 अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(घ) **कार्यशालाएंः** कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की जाती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

1055

(ड.) **स्कूल-आधारित क्रियाकलापः** ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिनकी एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा है वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम पंद्रह अध्ययन घंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

(च) **अध्यापन अभ्यासः** डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र चालीस दिनों की अवधि के भीतर चालीस पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में बीस तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढाएंगे। प्रत्येक पाठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की समूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम अस्सी अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

13 मूल्यांकन

(क) मूल्यांकन और फीडबैक

संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं/कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सकें। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों को सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया/अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

1056

(ख) मानीटरन तथा पर्यवेक्षण

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेकि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दोनों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

14 फीस का ढांचा

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

15 पाठ्य विवरण तथा स्व-अधिगम सामग्री

(क) **पाठ्य विवरणः** नियमित कक्षाओं के लिए डीएलएड का पाठ्य विवरण ब्लाकों/यूनिटों के रूप में दूरस्थ पद्धति में रूपांतरित कर दिया जाएगा। संस्थान द्वारा तैयार की गई स्व-अधिगम सामग्री डीईसी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(ख) **श्रव्य-दृश्य कार्यक्रमः** राज्य संसाधन केन्द्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

16 पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र, आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा का आयोजन करेंगे।

17 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगाः

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

1057

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठ्यक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केन्द्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

1058

परिशिष्ट - 10

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से बी.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों को व्यावसायिक विकास के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान करना है।

2 **पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त**

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट जैसेकि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र होंगे (समविश्वविद्यालय, कृषि अथवा तकनीकी विश्वविद्यालय जोकि अध्यापक शिक्षा से इतर किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कराते हैं तथा अन्य विषय क्षेत्र विशिष्ट विश्वविद्यालय/संस्थान जैसेकि भाषा विश्वविद्यालय/संस्थान आदि ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के पात्र नहीं हैं।)

3 **क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र**

ओडीएल के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र विश्वविद्यालय के अधिनियम में यथापरिभाषित अधिकारक्षेत्र होगा।

विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र भी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित होंगे।

4 **अवधि**

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरूआत और समापन इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

5 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

बी.एड. (ओडीएल) कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की बुनियादी इकाई इस शर्त के अध्यधीन पांच सौ छात्रों की होगी कि किसी एक सत्र में एक अध्ययन केंद्र अधिक से अधिक सौ छात्र दाखिल करेगा। किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट से संबंधित आवेदन-पत्र पर, राअशिप द्वारा अध्ययन केंद्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

1059

(2) **पात्रता**

(क)

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) सरकारी अथवा सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल में पढ़ाने का दो वर्ष का अनुभव

(ख) राज्य विश्वविद्यालय केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दाखिल करेगा जोकि विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा उसे आबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में स्थित स्कूलों में कार्यरत हों।

(3) **दाखिले की क्रियाविधि**

(क) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 **मुख्यालय स्तर**

(1) **मुख्यालय में शैक्षणिक स्टाफ**

ओडीएल प्रणाली के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे सभी संगत विषयक्षेत्रों में तथा दो भाषाओं - अंग्रेजी तथा प्रादेशिक भाषा में विशेषज्ञताप्राप्त नितांततः छह सदस्यों का एक कोर संकाय होगा।

(क) संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

प्रोफेसर	- एक
रीडर/सह-प्रोफ़ेसर	- एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर	- चार

(ख) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(ग) इस कार्यक्रम के पांच सो या उससे कम छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता बढ़ाई जाएगी।

1060

(घ) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(2) **शैक्षणिक स्टाफ़ की अर्हता**

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(3) **मुख्यालय के लिए गैर-शिक्षण/सहयोगी स्टाफ/प्रशासनिक स्टाफ**

प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ नीचे वर्णित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध कराया जा सकता है।

साफ्टवेयर विशेषज्ञ/व्यावसायिक	एक
प्रभारी, आकलन और मूल्यांकन	एक
डाटाबेस बनाए रखने क लिए कंप्यूटर प्रचालक	एक
कार्यालय सहायक	एक
अध्ययन सामग्री भेजने के लिए सहायक	एक

7 **कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उपबंध**

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

1061

8 **क्षेत्रीय/संकुल स्तर**

(क) मानीटरन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर की जाएगी। एक क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता दस अध्ययन केन्द्रों का प्रभारी होगा। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ता की अर्हताएं वही होनी चाहिए जोकि प्रोफेसर/रीडर/लेक्चरर के लिए निर्धारित हैं। ऐसा व्यक्ति एक सेवानिवृत्त व्यक्ति हो सकता है। क्षेत्रीय/संकुल समन्वयकर्ताओं के रूप में उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्कूलों के सेवानिवृत्त प्रिंसीपलों की नियुक्ति की जा सकती है।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें**

(I) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद हैं। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(II) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या एक सौ से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपने पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम एक सौ छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

(iv) अध्ययन केन्द्र टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रव्य-दृश्य प्लेयर, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट प्राप्त अथवा अंन्योन्यक्रियापूर्ण टर्मिनल, एलसीडी आदि जैसी अपेक्षित सुविधाओं से सुसज्जित होगा।

(III) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(IV) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(V) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की

1062

उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार कियाजाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

9 **भौतिक आधारिक-तंत्र**

(क) **मुख्यालय स्तर परः** पर्याप्त संख्या में क्लासरूम तथा संकाय सदस्यों के लिए क्यूबिकल, फोटोकापियरों सहित एक कार्यालय कक्ष, छात्रों का डाटाबेस बनाए रखने के वास्ते कंप्यूटर प्रचालकों के लिए एक बड़ा कमरा, अधिगम सामग्री के उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए एक अन्य कमरा, अधिगम सामग्री के भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्टोर और जो पाठों को रिकार्ड करने तथा सीडी तैयार करने के लिए श्रव्य-दृश्य स्टुडियो से सुसज्जित हो तथा बैठकें/टेलीकांफ्रेंसिंग के लिए एक बड़ा सम्मेलन कक्ष।

(ख) **अध्ययन केन्द्र के स्तर परः** विज्ञान और मनोविज्ञान कार्यशालाएं, व्यावहारिक कार्य के लिए कार्यशाला, प्रविधि विषयों में प्रशिक्षणार्थियों के वैयक्तिक मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे, एक प्रारंभिक अभ्यास स्कूल की उपलब्धता, संपर्क कक्षाएं आयोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कमरे। टेलीफोन, फैक्स, फोटोकापी मशीन, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, श्रव्य-दृश्य प्लेयरों, अन्योन्यक्रियापूर्ण मल्टीमीडिया सीडी, एड्यूसेट केवल प्राप्ति (रौट) उपग्रह अथवा अन्योन्यक्रियापूर्ण (एसआईटी), एलसीडी आदि।

10 **पुस्तकालय**

(क) मुख्यालय का पुस्तकालयः राअशिप द्वारा प्रकाशित और अनुशंसित पत्रिकाओं और पुस्तकों सहित समुचित संख्या में स्कूल तथा प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तकों तथा संदर्भ पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी पुस्तकालय, आईसीटी पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक उपकरण, सीडी, विश्वकोष, प्रारंभिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा की पत्रिकाएं। इसके अलावा अंग्रेजी/हिंदी/प्रादेशिक भाषा में समुचित मात्रा में स्व-शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी।

(ख) अध्ययन केन्द्र का पुस्तकालयः जिन संस्थानों में अध्ययन केन्द्र स्थित है प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क सत्रों के दौरान उनके पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का प्रयोग किया जाएगा।

11 **शैक्षणिक इन्पुट**

(क) स्व-अधिगम सामग्रीः यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री

1063

सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(ख) संपर्क कार्यक्रमः दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम 300 घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित क्रिया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(ग) **शैक्षणिक परामर्शः** शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम 144 अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(घ) कार्यशालाएंः कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की ती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

(ङ.) स्कूल-आधारित क्रियाकलापः ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिनकी एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा है वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम 15 अध्ययन घंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

1064

(च) अध्यापन अभ्यासः डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र 40 दिनों की अवधि के भीतर 40 पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में 20 तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढाएंगे। प्रत्येक पाठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की सूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम 80 अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों में प्रयोग के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके करेगी।

(छ) मूल्यांकन और फीडबैकः संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं। कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सके। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों के सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया। अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

12 पाठ्यचर्या क्षेत्रों में अभ्यास शिक्षण

मुख्यालय का स्टाफ अध्ययन केन्द्रों के लिए पाठ्यचर्या, स्व-अधिगम सामग्री, आदर्श पाठ योजनाएं तथा एवी सामग्री तैयार करेगा। पहले और दूसरे वर्ष के अंत में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अध्यापक शिक्षा

1065

संस्थानों (टीईआई) में स्थित अध्ययन केन्द्र, आंतरिक और बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करके अभ्यास शिक्षण और कार्य अनुभव घटकों की परीक्षा का आयोजन करेंगे।

13 **छात्र सहयोग प्रणाली**

पाठ्यक्रम के छात्रों को विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय/संकुल/संस्थानगत अध्ययन केन्द्र के पुस्तकालय के पूरे प्रयोग की सुविधा उसी प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी जैसेकि सभी नियमित आमने-सामने पद्धति वाले छात्रों को उपलब्ध रहती है।

अध्ययन केन्द्रों में इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

श्रृव्य-दृश्य कार्यक्रमः राज्य संसाधन केन्द्रों और इग्नू की उपलब्ध अपलिंकिंग सुविधा का प्रयोग किया जाएगा।

14 **मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण**

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेक़ि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

15 **फीस का ढांचा**

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

16 **कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा**

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगाः

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

1066

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठयक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केनद्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

1067

परिशिष्ट - 11

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा में मास्टर डिग्री (एम.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम का उद्देश्य सेवारत अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, नीतिनिर्माताओं, शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं, पाठ्यचर्या और सामग्री निर्माताओं तथा शैक्षिक प्रणाली में अन्य को व्यावसायिक विकास के लिए एम.एड. पाठ्यक्रम करने का अवसर प्रदान करना है।

2 **पाठ्यक्रम का नाम**

शिक्षा में मास्टर (एम.एड.)

3 **पाठ्यक्रम की पेशकश करने की शर्त**

(1) **संस्थान**

ओडीएल कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेष रूप से स्थापित संस्थान अथवा शैक्षणिक यूनिट ओडीएल प्रणाली से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए पात्र होंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और केंद्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा के निदेशालय/स्कूल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों पेश करने के पात्र होंगे। समविश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय तथा विषय/विषय क्षेत्र विशिष्ट/संस्थान जैसेकि हिंदी, तेलुगु, संस्कृत आदि ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के पात्र नहीं होंगे।

(2) **अधिकार क्षेत्र**

राज्य विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधायिका अधिनियम के माध्यम से और केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय को अधिनियम द्वारा उसे आबंटित क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र के भीतर छात्रों को दाखिला देने की अनुमति होती है। एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अधिकारक्षेत्र एक से अधिक राज्यों में हो सकता है बशर्ते कि इसके अधिनियम में इसके क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र के बारे में विशिष्ट प्रावधान हों। विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में भी स्थित हो सकते हैं।

4 **अवधि**

कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक सत्र/वर्ष (चार सेमस्टर) होगी। कार्यक्रम की शुरुआत और समापन इस प्रकार विनियमित किए जाएंगे कि छात्रों को मार्गदर्शित/पर्यवेक्षित शिक्षण तथा

1068

आमने-सामने के संपर्क सत्रों के लिए छुट्टियों (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/विभाजित) की दो दीर्घ अवधियां उपलब्ध हो सकें। कार्यक्रम को गर्मियों की दो छुट्टियों के बीच में रखना एक आदर्श व्यवस्था होगी।

5 दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि

(1) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या

कार्यक्रम के लिए बुनियादी यूनिट इस शर्त के अध्यधीन दो सौ पचास होगा कि अध्ययन केन्द्र किसी एक वर्ष में पच्चीस से अधिक छात्रों का दाखिला नहीं करेगा। एम.एड., ओडीएल के लिए एक शोध प्रबंध की पूर्ति एक अनिवार्य अपेक्षा है क्योंकि आमने-सामने वाले एम.एड. पाठ्यक्रम में भी ऐसा ही प्रावधान है। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के लिए आवेदन-पत्र पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में संबंधित सहयोग की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले अतिरिक्त छात्रों का यूनिट केवल पच्चीस छात्रों का होगा।

(2) पात्रता

पचपन प्रतिशत अंकों सहित बी.एड.

बी.एड. कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाद किसी सरकारी/सरकारी मान्यताप्राप्त स्कूल/राअशिप मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा/शिक्षा में अनुसंधान संस्थान में दो वर्ष का शिक्षण/व्यावसायिक अनुभव।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

(i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करेगी।

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, इनमें से जो भी लागू हो उसके नियमों के अनुसार होगा। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा उम्मीदवारों की अन्य श्रेणियों के लिए अंकों में पांच प्रतिशत की ढील दी जाएगी।

6 मुख्यालय में सुविधाएं

(1) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम में पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, परामर्श, शोध प्रबंध मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम निर्माण, छात्रों की एसाइनमेंटों की जांच, स्व-सुधारात्मक अधिगम सामग्री का मानीटरन, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन, अध्ययन केन्द्रों के स्टाफ का दिशा-अनुकूलन आदि जैसे अनेक क्रियाकलाप शामिल रहते हैं। मुख्यालय/नोडल केन्द्रों का संकाय इन सभी के संबंध में समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय और अध्ययन केन्द्रों--दोनों में सुविधाएं और विशेषज्ञता उपलब्ध कराई जाए।

1069

मुख्यालय/नोडल केन्द्र केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही काम नहीं करेगा बल्कि एक सक्रिय संसाधन केन्द्र के रूप में भी काम करेगा। यह जरूरी है कि मुख्यालय/नोडल केन्द्र में पूर्णकालिक और उच्च अर्हताप्राप्त स्टाफ की नियुक्ति की जाए। छात्रों की जरूरतों के अनुसार अतिरिक्त अंशकालिक संकाय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(2) **स्टाफ**

(i) ओडीएल पद्धति के माध्यम से इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पेशकश करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय के पास नितांततः 6 सदस्यों का पूर्णकालिक कोर संकाय होना चाहिए।

(ii) संकाय के ब्यौरे निम्नानुसार होंगेः

प्रोफेसर	- एक
रीडर/सह-प्रोफेसर	- एक
लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर	- चार

(iii) संकाय पाठ्यक्रम डिजाइनिंग, सामग्री निर्माण, एसाइनमेंट्स के मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों के शैक्षणिक स्टाफ के दिशा-अनुकूलन तथा अध्ययन केन्द्रों के मानीटरन और पर्यवेक्षण और पाठ्यक्रमों के अनुरक्षण/नवीकरण तथा अन्य क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) इस कार्यक्रम के 25 छात्रों के प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए संकाय क्षमता में एक प्रोफेसर/रीडर की वृद्धि की जाएगी।

(v) संकाय के एक सदस्य को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम-समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(3) **शैक्षणिक स्टाफ की अर्हता**

शैक्षणिक स्टाफ की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक अर्हताएं वैसी ही होंगी जैसीकि आमने-सामने पद्धति से चलाए जा रहे तदनुरूपी कार्यक्रमों के मामले में निर्धारित हैं। इसके अलावा ओडीएल प्रणाली में अर्हता/अनुभवप्राप्त संकाय को वरीयता दी जाएगी।

(4) **भौतिक आधारिक-तंत्र**

संकाय सदस्यों के लिए कमरे/केबिन, कंप्यूटर कक्ष, सामग्री उत्पादन केन्द्र, स्टोर, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर और कोर्सवेयर विकास के लिए श्रृव्य-दृश्य स्टुडियो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(5) **शिक्षणात्मक आधारिक-तंत्र**

(i) पुस्तकालय

अध्यापक शिक्षा से संबंधित पाठ्य और संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोशों, अब्दकोशों, इलेक्ट्रानिक प्रकाशनों, सीडी रोमों तथा अध्यापक शिक्षा, दूरस्थ

1070

शिक्षा आदि के संबंध में अनुसंधान पत्रिकाओं से सुसज्जित एक पुस्तकालय होगा।

7 सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति केन्द्रीय/सम्बन्धित राज्य सरकार/बोर्ड, इनमें से जो भी लागू हो उसकी नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा सरकार के तदनुरूपी पद के लिए यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा इस प्रयोजन के लिए, विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

(ड.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

8 अध्ययन केन्द्र के लिए पात्रता और शर्तें

(1) केवल निम्न श्रेणी के संस्थान अध्ययन केन्द्र बनने के योग्य होंगे:

ऐसे संस्थान जिन्हें आमने-सामने पद्धति से उसी कार्यक्रम को चलाने के लिए राअशिप की मान्यताप्राप्त है और जिनके पास राअशिप के मानदंडों के अनुसार सभी अपेक्षित आधारिक-तंत्र और स्टाफ मौजूद हैं। ऐसे संस्थान जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए संगत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाया हो।

विश्वविद्यालय द्वारा एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में घोषित संस्थान, उसी या किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी अन्य कार्यक्रम के लिए अध्ययन केन्द्र नहीं होगा।

(2) (i) एक अध्ययन केन्द्र को आबंटित छात्रों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी।

(ii) अध्ययन केन्द्र, उसे आबंटित किए गए दूरस्थ छात्रों को अपना पुस्तकालय तथा अन्य भौतिक सुविधाएं सुलभ कराएगा।

(iii) ओडीएल संस्थान का मुख्यालय भी कम से कम 25 छात्रों के लिए एक अध्ययन केन्द्र के रूप में काम कर सकता है।

(071)

(3) अध्ययन केन्द्र में विभिन्न क्रियाकलापों में प्रवृत्त अध्यापक प्रशिक्षक/पर्यवेक्षक राअशिप मानदंडों के अनुसार पूरी तरह अर्हताप्राप्त होंगे।

(4) मुक्त विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अध्ययन केन्द्रों के क्रियाकलापों से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों को समय-समय पर ओडीएल प्रणाली के व्यवहार में दिशा-अनुकूलित किया जाना चाहिए।

(5) किसी कार्यक्रम में अतिरिक्त यूनिट के दाखिल किए जाने से संबंधित अनुरोध पर राअशिप द्वारा अध्ययन केन्द्रों के संबंध में अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारक्षेत्र में संबंधित सहयोग के आधार पर विचार किया जाएगा। दाखिल किए गए अतिरिक्त छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त करने के निमित्त निर्धारित क्रियाविधि का पालन किया जाएगा।

9 शैक्षणिक इन्पुट

(1) स्व-अधिगम सामग्रीः यह कार्यक्रम पूर्ण व्यावसायिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जाएगा। मुद्रित तथा गैर-मुद्रित--दोनों प्रकार की स्व-अधिगम सामग्री अनिवार्यतः स्व-अधिगम के शिक्षाशास्त्र पर आधारित होनी चाहिए और डीईसी द्वारा उसे विधिवत रूप से अनुमोदित किया होना चाहिए। मिश्रित अधिगम पद्धति (विधियों और मीडिया का मिश्रण) का प्रयोग किया जाना चाहिए। छात्रों को अध्ययन सामग्री सत्र के आरंभ में ही कार्यक्रम की जरूरत के अनुसार या तो एक ही बार में अथवा चरणबद्ध रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) संपर्क कार्यक्रमः दो वर्ष की अवधि के कार्यक्रम में छात्रों की सुविधा के अनुसार मुख्यालय/अध्ययन केन्द्रों में कम से कम तीन सौ घंटों का संपर्क कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया जाना चाहिए। वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम निम्न रूपों में आयोजित किए जाने चाहिए।

(i) शैक्षणिक परामर्शः शैक्षणिक परामर्श सत्र कार्यक्रम की समूची अवधि में प्रसारित किए जाएंगे तथा ऐसे सत्र छात्रों की जरूरत और सुविधा के आधार पर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। परामर्शी सत्रों के दौरान पाठ्यक्रम से संबंधित शैक्षणिक और वैयक्तिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। परामर्शी सत्रों का प्रयोग छात्रों को क्षेत्रीय कार्य, अध्यापन अभ्यास, परियोजनाओं, एसाइनमेंटों, शोध प्रबंधों, समय प्रबंध, अध्ययन कौशलों आदि के संबंध में वैयक्तिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए किया जाएगा। परामर्शी सत्रों के लिए दो वर्ष में प्रसारित कम से कम एक सौ चवालीस अध्ययन घंटे आबंटित किए जाएंगे। परामर्शी सत्र शिक्षण सत्रों के रूप में नहीं बल्कि ट्यूटोरियलों के रूप में आयोजित किए जाएंगे क्योंकि शिक्षण कार्य की पूर्ति छात्रों को उपलब्ध कराई गई अधिगम सामग्री से हो जाएगी।

(ii) कार्यशालाएंः कार्यशालाओं में छात्र, एक अध्यापक अथवा अध्यापक प्रशिक्षक के लिए अपेक्षित क्षमताएं और कौशल अर्जित करेंगे। इसलिए उन्हें व्यक्तियों या समूहों के रूप में कतिपय क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया

जाएगा। साथ ही अध्ययन केन्द्र क्लासरूमों और अनुरूपित स्थितियों में अभ्यास अध्यापन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही छात्रों को, शिक्षण सहायक सामग्री, अनुसंधान साधनों, कार्यशीटों, स्क्रैपबुक्स आदि तौयर करने के काम में शामिल करके उन्हें आईसीटी के निर्माण और प्रयोग में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों ने जो कुछ सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से सीखा है और उनसे क्लासरूमों में जो कुछ करने की अपेक्षा की ती है, उसका अभ्यास करने के भी काफी अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 12-12 दिन की अवधि की दो कार्यशालाएं (प्रति वर्ष एक) होंगी। इस प्रकार दो वर्ष के कार्यक्रम में कुल मिलाकर 24 दिन (इंटरवल, लंच आदि के समय को छोड़कर 6 घंटे का अध्ययन समय) कम से कम 144 अध्ययन घंटे कायशालाओं में लगाए जाएंगे।

(iii) स्कूल-आधारित क्रियाकलापः ओडीएल प्रणाली के माध्यम से अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त किया जाएगा, जिन्हें एक अध्यापक से स्कूल/कालेज में निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। स्कूल-आधारित क्रियाकलापों पर कार्य करने के लिए छात्र एक संकाय सदस्य (जिस स्कूल/कालेज में छात्र काम कर रहा है वहां का कोई वरिष्ठ तथा अनुभवी अध्यापक/प्रिंसीपल/संकाय) के साथ वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक परामर्शदाता द्वारा एक छात्र को कम से कम पंद्रह अध्ययन धंटों तक पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन किया जाएगा।

(iv) अध्यापन अभ्यासः डीएलएड कार्यक्रम में दाखिल किए गए छात्र चालीस दिनों की अवधि के भीतर चालीस पाठों की योजना बनाएंगे और पढ़ाएंगे (बीएड के मामले में प्रत्येक विषय में बीस तथा अन्य कार्यक्रमों के मामले में जरूरत के अनुसार)। दूसरे शब्दों में छात्र एक दिन में एक से अधिक पाठ नहीं पढाएंगे। प्रत्येक प्राठ के बाद पर्यवेक्षकों/अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा छात्र को उसके निष्पादन (शक्तियां और दुर्बलताएं) की बाबत एक रचनात्मक फीडबैक उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार छात्र, पाठ योजनाएं तैयार करने, पाठ पढ़ाने तथा पढ़ाए गए पाठों के संबंध में फीडबैक पर पर्यवेक्षक/अध्यापक प्रशिक्षक के साथ चर्चा करेगा। इस प्रकार प्रत्येक छात्र, कार्यक्रम की सूची अवधि के भीतर अध्यापन अभ्यास पर कम से कम अस्सी अध्ययन घंटों (प्रति पाठ दो घंटे) के लिए वैयक्तिक पर्यवेक्षण प्राप्त करेगा।

10

(क) **मूल्यांकन और फीडबैकः** संस्थान द्वारा दो स्तर के मूल्यांकन का प्रयोग किया जाएगाः सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा सत्र के अंत में परीक्षाएं। कार्यशाला में सहभागिता और निष्पादन सहित सतत और व्यापक मूल्यांकन को समुचित भारिता प्रदान की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रस्तुत एसाइनमेंटो/परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन एक समय-सीमा के भीतर किया जाएगा और उन्हें रचनात्मक टिप्पणियों तथा

1073

सुझावों सहित वापिस लौटा दिया जाएगा ताकि वे अपने निष्पादन में सुधार ला सके। ऐसाइनमेंटों/परियोजना रिपोर्टों के मूल्यांकन का प्रमुख कार्य छात्रों के सामयिक फीडबैक प्रदान करना है जिससे कि उनकी प्रेरणा को बनाए रखा जा सके। ऐसाइनमेंटों, कार्यशाला-आधारित क्रियाकलापों, स्कूल-आधारित क्रियाकलापों और अध्यापन अभ्यास का मूल्यांकन सतत आधार पर किया जाना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन के तहत पाठ्यक्रम के सभी यूनिटों से संबंधित प्रश्न आएंगे और ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रकृति के/लघु उत्तर प्रकृति के/दीर्घ उत्तर प्रकृति के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इन प्रश्नों के बारे में परीक्षण निकाय द्वारा नियुक्त परीक्षकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया। अंतिम रूप दिया जाएगा। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन को 30:70 के अनुपात में भारिता प्रदान की जाएगी।

(ख) छात्र सहयोग सेवाएं

(i) पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय और इसका संबंधनप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में स्थित पुस्तकालय के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(ii) अध्ययन केन्द्रों में इंटरनेट/टेलीविजन/वीसीआर/ओएचपी आदि जैसी गैर-मुद्रित अधिगम सामग्री प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iii) अध्ययन केन्द्रों में छात्रों को परामर्शी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(ग) मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण

एक दूरस्थ अध्यापक शिक्षा संस्थान में एक व्यवस्थित मानीटरन तंत्र होना जरूरी है। मानीटरन के लिए विभिन्न कार्यनीतियों का प्रयोग किया जाएगा जैसेकि संकाय द्वारा नियतकालिक क्षेत्रीय दौरे, छात्रों तथा अध्ययन केन्द्र समन्वयकर्ताओं--दों से नियमित फीडबैक प्राप्त करना, आईसीटी आदि के माध्यम से छात्रों के साथ वैचारिक आदान-प्रदान तथा संस्थानों द्वारा विशिष्ट रिकार्ड रखना। अध्ययन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा एक उपयुक्त क्रियाविधि नियमित आधार पर तैयार की जाएगी।

11 फीस का ढांचा

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी छात्र से विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार फीस वसूली जाएगी।

12 कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की पूर्वापेक्षा

(i) अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की मान्यता प्राप्त करने के लिए राअशिप को आवेदन करने से पूर्व ओडीएल संस्थान निम्न कार्य सुनिश्चित करेगा।

(ii) कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र, फीस के ढांचे, नामांकन, अध्ययन केन्द्रों की संकाय की जरूरत, कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन पर अनुमोदित खर्च, कार्यक्रम के निमाण और कार्यान्वयन के लिए भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों तथा संसाधन

1074

व्यक्तियों को भुगतान के मानदंडों, अध्ययन केन्द्रों को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संकाय, संसाधनों आदि से संबंधित ब्यौरों सहित परियोजना दस्तावेज की तैयारी।

(iii) कार्यक्रम शुरू करने के लिए समुचित विश्वविद्यालय निकायों की मंजूरी।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित मूल्यांकन/परीक्षा की स्कीम तथा सहयोगात्मक सेवाओं सहित पाठ्यचर्या (पाठयक्रम-वार तथा यूनिट-वार संरचना) की तैयारी।

(v) डीईसी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित मुद्रित तथा गैर-मुद्रित रूप में स्व-अधिगम सामग्री की तैयारी।

(vi) अभिज्ञात अध्ययन केन्द्रों से एक निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का आश्वासन कि अध्ययन केनद्रों के लिए मानदंडों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) स्टाफ के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाए जैसेकि विज्ञापन देना, छंटाई करना, इंटरव्यू आयोजित करना तथा चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रस्ताव भेजना।

1075

परिशिष्ट - 12

कला शिक्षा (दृश्य कलाएं) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (दृश्य कलाएं)मे डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

सभी अन्य प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की तर्ज पर कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं अथवा निष्पादन कलाएं) की पेशकश उच्च माध्यमिक के बाद की जानी चाहिए और इसकी अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। कार्यक्रंम पूरा करने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्तर के अंत तक अर्थात कक्षा VII अथवा VIII तक दृश्य कलाएं अथवा निष्पादन कलाएं पढ़ाने के योग्य होने चाहिए।

2 **अवधि तथा कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

इस कार्यक्रम की अवधि दो वर्ष होगी।

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) परीक्षा और दाखिलों की अवधि को छोड़कर प्रति वर्ष कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे जिनमें कम से कम चालीस दिन प्रारंभिक स्कूलों में अभ्यास अध्यापन/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान एक सप्ताह में (पांच अथवा छह दिन) कम से कम छत्तीस घंटे काम करेगा।

3 **कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए पात्र संस्थान**

(i) कला शिक्षा संस्थान

(ii) कला और शिल्प अध्यापक शिक्षा संस्थान

(iii) एक स्कूल शिक्षण विषय के रूप में कला शिक्षा की पेशकश करने वाले माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बी.एड.)।

4 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता तथा दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रति वर्ष पचास छात्रों का एक बुनियादी यूनिट होगा (चित्रकला/चित्रांकन आदि) जिसमें पच्चीस-पच्चीस छात्रों के दो सेक्शन होंगे।

(2) **पात्रता**

जिन अभ्यर्थियों ने कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+ 2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है और जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर

1076

पर एक वैकल्पिक विषय (विषयों) के रूप में दृश्य कला (चित्रकला/चित्रांकन आदि) का अध्ययन किया है, दाखिले के लिए पात्र हैं।

जिन छात्रों ने उच्च माध्यमिक स्तर पर दृश्य कलाओं का अध्ययन नहीं किया है, संस्थान/परीक्षण निकाय द्वारा आयोजित अभिवृत्ति-एवं-कौशल परीक्षण में उनके निष्पादन के आधार पर उनके दाखिले पर भी विचार किया जा सकता है।

आरक्षित श्रेणियों के संबंध में सीटों के आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिले अर्हक परीक्षा तथा/अथवा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार अथवा राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से किए जाएंगे।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5 स्टाफ

(I) **शैक्षणिक संकाय**

(i) **संख्या**

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या इससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते

प्रिंसीपल - एक

लेक्चरर - छह

(II) **अर्हताएं**

प्रिंसीपल

शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर - पांच

शिक्षा में लेक्चरर - एक

1077

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.एड. (प्रारंभिक)

अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii) पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा/प्रांरभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ii) **कला विषय** - **तीन**

(क) चित्रांकन तथा चित्रकला - एक

(ख) मूर्तिकला - एक

(ग) अनुप्रयुक्त कलाएं - एक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कलाओं (दृश्य कलाएं) में मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता

वांछनीय

पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

साहित्य में लेक्चरर

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर

(ii) पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(iii) कला और शिल्प अनुदेशक - **एक**

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कला में स्नातक

3143 GI/09—8A

1078

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा

वांछनीय

कला शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iii) कला तथा हस्तकला अनुदेशक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित ललित कला में स्नातक

अथवा

पचपन प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा

वांछनीय

कला शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iv) पुस्तकालयाध्यक्ष - एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

(III) प्रशासनिक स्टाफ

(क) संख्या

(i) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - एक

(ii) कंप्यूटर प्रचालक - एक

(ख) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

टिप्पणीः

पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी

(IV) **सेवा की शर्तें और उपबंध**

नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

1079

अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

6 सुविधाएं

(I) **आधारिक तंत्र**

(क) सौ छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में ढाई हजार वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से एक हजार पांच सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में पांच सौ वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ तक के वार्षिक दाखिले की स्थिति में संस्थान के कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से दो हजार एक सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थानों के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए:

(i) दो क्लासरूम

(ii) एक डायस सहित दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुद्देशीय हाल

(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय

(iv) ईटी/आईसीटी/मनोविज्ञान के लिए संसाधन केन्द्र

(v) पचास छात्रों के लिए चित्रकला की सुविधाओं के निमित्त एक कला स्टुडियो

(vi) पचास छात्रों के लिए सुविधाओं सहित अनुप्रयुक्त कला स्टुडियो

(vii) पचास छात्रों के लिए सुविधाओं सहित मूर्तिकला स्टुडियो

(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र

(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय

(x) स्टाफ रूम

(xi) प्रशासनिक कार्यालय

1080

(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)

(xiii) बालिकाओं का कामन रूम

(xiv) कैंटीन

(xv) अतिथि कक्ष

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधा

(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान

(xviii) लानों, बागवानी क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान

(xix) स्टोर रूम

(xx) बहुद्देशीय खेल मैदान

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होने चाहिए।

(II) **शिक्षणात्मक**

(i) प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के वास्ते संस्थान के पास पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। बेहतर हो कि उसके पास अपना स्वयं का एक संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक दस प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे।

(ii) संस्थान 6(I) में बताए अनुसार स्टुडियो और संसाधन केन्द्र स्थापित करेगा जिसमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अध्यापकों तथा छात्रों को बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्न शामिल होंगेः

कलाओं और शिल्पों पर पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

बच्चों की पुस्तकें

श्रृव्य-दृश्य उपकरण-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर

श्रृव्य-दृश्य सहायक सामग्री, श्रृव्य-दृश्य टेप, स्लाइडें, फिल्में

शिक्षण सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें

बच्चों के कलाकृतियों, विख्यात कलाकारों की कृतियों और मास्टर शिल्पकारों की कृतियों जैसी प्रेरणात्मक सामग्री

विकासात्मक आकलन पड़ताल सूचियां तथा मापन साधन

फोटोकापी मशीन

टिप्पणीः

आईसीटी/मनोविज्ञान/स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

(III) **विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री**

चित्रफलक, ड्राइंग बोर्ड, कैनवास, कागज, रंग, ब्रश, मूर्तिकला विशिष्ट टूलकिट, शिल्प विशिष्ट टूलकिट, अनुप्रयुक्त कलाकिट तथा पचास छात्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री।

(IV) **अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री**

इस कार्यक्रम मे नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा--दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिएः

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, क्रियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(V) **श्रृव्य-दृश्य उपकरण**

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य-दृश्य कैसेट, दृश्य-श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे।

(VI) **संगीत वाद्ययंत्र**

हार्मोनियम, तबला, बांसुरी, मृदंगम, वीणा, मंजीरा तथा अन्य क्षेत्रीय स्वदेशी संगीतात्मक वाद्ययंत्रों जैसे साधारण संगीतात्मक वाद्ययंत्र।

(VII) **पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन**

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिएः बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक, कामिको, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों पर और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताएं। संस्थान कम से कम तीन पत्रिकाएं मंगाएगा जिनमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(VIII) **खेल और खेलकूद**

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7 **(क) प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन

1082

सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

परिशिष्ट - 13

कला शिक्षा (निष्पादन कलाएं) में डिप्लोमा प्राप्त कराने वाले कला शिक्षा (निष्पादन कलाएं)मे डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1 **प्रस्तावना**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रारंभिक स्तर अर्थात कक्षा I से VIII तक के लिए निष्पादन कला अध्यापक तैयार करना है।

2 **अवधि और कार्यकारी दिवस**

(1) **अवधि**

कला अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी

(2) **कार्यकारी दिवस**

(क) दाखिले और परीक्षा की अवधि को छोड़कर प्रति वर्ष कम से कम 200 कार्यकारी दिवस होंगे जिनमें से कम से कम 40 दिन प्रारंभिक स्कूलों में अभ्यास शिक्षण/कौशल विकास के लिए होंगे।

(ख) संस्थान प्रति सप्ताह (5 अथवा 6 दिन) कम से कम 36 घंटे के लिए काम करेगा।

3 **कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए पात्र संस्थान**

(i) निष्पादन और दृश्य कला अध्यापक शिक्षा संस्थान।

(ii) ऐसे माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बी.एड.) जो एक स्कूल शिक्षण विषय के रूप में निष्पादन कला शिक्षा की पेशकश करते हों।

(iii) प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान।

4 **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या, पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि**

(1) **दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या**

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों का बुनियादी यूनिट होगा जिसमें 25-25 छात्रों के दो सेक्शन होंगे।

(2) **पात्रता**

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय/विषयों के रूप में संगीत/नृत्य सहित उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) का निशान कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पास की हो अथवा जिनके पास

मान्यताप्राप्त व्यावसायिक निकायों से संगीत, नृत्य/रंगमंच में समतुल्य अर्हताएं हों।

आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में सीटों में आरक्षण तथा अर्हक अंकों में ढील का प्रावधान संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(3) दाखिले की क्रियाविधि

दाखिला, प्रवेश-परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर (खेलकूद, दक्षता, परीक्षण, शारीरिक योग्यता परीक्षण तथा अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों) अथवा राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(4) फीस

संस्थान समय-समय पर यथासंशोधित राअशिप (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले निकाय/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथानिर्धारित फीस ही लेगा और वह छात्रों से किसी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क आदि नहीं लेगा।

5 स्टाफ

(I) शैक्षणिक संकाय

(i) संख्या

पचास छात्रों अथवा उससे कम के बुनियादी यूनिट अथवा दो वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सौ या इससे कम की संयुक्त क्षमता के वास्ते

प्रिंसीपल - एक

लेक्चरर - छः

(ii) अर्हताएं

(क) प्रिंसीपल

शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं वही होंगी जोकि लेक्चरर के पद के लिए निर्धारित हैं; तथा

कला अध्यापक शिक्षा अथवा प्रारंभिक/अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा निष्पादन कलाओं में अध्यापन का 5 वर्ष का अनुभव

लेक्चरर - पांच

(ख) शिक्षा में लेक्चरर - एक

1085

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित एम.एड./एम.एड. (प्रारंभिक) अथवा

(i) पचपन प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में एम.ए.

(ii)पचास प्रतिशत अंकों सहित कला शिक्षा विषयों/प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ग) **निष्पादन कलाएं** - तीन

(क) कंठसंगीत - एक

(ख) वाद्य संगीत - एक

(ग) नृत्य/रंगमंच कलाएं - एक

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित संगीत/नृत्य/रंगमंच में मास्टर डिग्री तथा उपर्युक्त में से संबंधित विषय में विशेषज्ञता

वांछनीय

शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा तथा शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

टिप्पणी:

अतिथि संकाय के रूप में समय-समय पर स्थानीय कलाकारों तथा/अथवा विख्यात कलाकारों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

(घ) **स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक - एक**

अनिवार्य

पचपन प्रतिशत अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

वांछनीय

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(ड.) **साहित्य में लेक्चरर**

(क) पचपन प्रतिशत अंकों सहित अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री

(ख) पचास प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा

(iii) **तबला संगतकार** - एक

1086

अनिवार्य

पचास प्रतिशत अंकों सहित्य वाद्य संगीत में (तबला) में स्नातक

अथवा

पचास प्रतिशत अंकों सहित निष्पादन कला शिक्षा में डिप्लोमा सहित स्नातक डिग्री

वांछनीय

शैक्षिक शिक्षा प्रयोजन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग में दक्षता

(iv) पुस्तकालयाध्यक्ष - एक

पचास प्रतिशत अंकों सहित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री

(II) प्रशासनिक स्टाफ

(i) संख्या

(क) यूडीसी/कार्यालय अधीक्षक - एक

(ख) कंप्यूटर प्रचालक - एक

(ii) अर्हताएं

संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

टिप्पणीः

पचास छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ में पांच पूर्णकालिक लेक्चरर, एक पुस्तकालय सहायक और एक कार्यालय सहायक की व्यवस्था की जाएगी

(III) सेवा की शर्तें और उपबंध

(क) नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की नीति के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

(ख) अंशकालिक के रूप में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, सभी नियुक्तियां पूर्णकालिक और नियमित आधार पर की जाएंगी।

(ग) अंशकालिक अनुदेशकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धित सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

(घ) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार द्वारा राज्य शिक्षा प्रणाली में समतुल्य पदों के लिए निर्धारित वेतन, का भुगतान आदाता के खाते में देय चेक द्वारा अथवा कर्मचारी के बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा।

1087

(ङ.) अपने कर्मचारियों की पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि सम्बन्धी सांविधिक कर्तव्यों का निर्वाह संस्थान के प्रबन्धक वर्ग द्वारा किया जाएगा।

(च) स्टाफ की अधिवार्षिकी की आयु सम्बन्धित सरकार की नीति द्वारा तय की जाएगी।

(छ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

6 **सुविधाएं**

(1) **आधारिक तंत्र**

(क) सो छात्रों के प्रारंभिक दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में ढाई हजार वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से एक हजार पांच सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र और बाकी स्थान लान, खेल के मैदानों आदि के लिए होगा। सौ या इससे कम छात्रों के अतिरिक्त दाखिले के लिए संस्थानों के कब्जे में पांच सौ वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि होनी चाहिए जिसमें से तीन सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ तक के वार्षिक दाखिले की स्थिति में संस्थान के कब्जे में तीन हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि होनी चाहिए जिसमें से दो हजार एक सौ वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

(ख) संस्थानों के पास निम्न आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएः

(i) दो क्लासरूम
(ii) एक डायस सहित 200 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता सहित एक बहुद्देशीय हाल
(iii) पुस्तकालय-एवं-वाचनालय
(iv) ईटी/आईसीटी/मनोविज्ञान के लिए संसाधन केन्द्र
(v) शीशों सहित निष्पादन कला संसाधन केन्द्र
(vi) शीशों सहित वाद्य संगीत कक्ष
(vii) शीशों सहित कंठ संगीत कक्ष
(viii) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्र
(ix) प्रिंसीपल का कार्यालय
(x) स्टाफ रूम
(xi) प्रशासनिक कार्यालय
(xii) कला सामग्री के भंडारण के लिए स्टोर रूम (दो)
(xiii) बालिकाओं का कामन रूम
(xiv) कैंटीन
(xv) अतिथि कक्ष

1088

(xvi) बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग टायलेट सुविधा
(xvii) वाहन खड़ा करने के लिए स्थान
(xviii) लानों, बागवानी क्रियाकलापों आदि के लिए खुला स्थान
(xix) स्टोर रूम
(xx) बहुद्देशीय खेल मैदान

टिप्पणीः स्टेज-शो के दौरान संगीत कक्षों का प्रयोग ड्रेसिंग रूमों के रूप में किया जा सकता है।

(ग) संस्थान का परिसर, भवन, फर्नीचर आदि विकलांगों के अनुकूल होने चाहिए।

(2) **शिक्षणात्मक**

(क) प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के क्षेत्रीय कार्य तथा अभ्यास शिक्षण संबंधी क्रियाकलापों के वास्ते संस्थान के पास पर्याप्त संख्या में मान्यताप्राप्त प्रारंभिक स्कूल सहज सुलभ होने चाहिए। बेहतर हो कि उसके पास अपना स्वयं का एक संबद्ध प्राथमिक स्कूल हो। संस्थान अभ्यास शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने के इच्छुक स्कूलों की वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक स्कूल के साथ अधिक से अधिक 10 प्रशिक्षणार्थी अध्यापक संबद्ध किए जाएंगे।

(ख) संस्थान 6 (1) में बताए अनुसार संगीत कक्ष और संसाधन केन्द्रों की स्थापना करेगा जिनमें अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया के समर्थन और संवर्द्धन के वास्ते अध्यापकों तथा छात्रों को बहुविध सामग्री और संसाधन सुलभ होंगे। इनमें निम्न शामिल होंगेः

संगीत/नृत्य/रंगमंच कलाओं पर पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा मैगजीन
बच्चों की पुस्तकें
श्रृव्य-दृश्य उपकरण-टीवी, ओएचपी, डीवीडी प्लेयर
श्रृव्य दृश्य सहायक सामग्री, श्रृव्य-दृश्य टेप, स्लाइडें, फिल्में
शिक्षण सहायक सामग्री-चार्ट, तस्वीरें
निष्पादन और दृश्य कलाओं—दोनों पर सीडी
विकासात्मक आकलन पड़ताल सूचियां तथा मापन साधन
इंटरनेट सुविधा सहित कंप्यूटर
फोटोकापी मशीन

टिप्पणीः

आईसीटी/मनोविज्ञान/स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा संसाधन केन्द्रों की स्थापना करते समय संस्थानों को राअशिप द्वारा प्रकाशित "अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियमपुस्तिका" की सहायता लेने की सलाह दी जाती है।

1089

0201

(3) **विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपकरण और सामग्री**

(क)

(i) मूल बुनियादी वाद्ययंत्र-हारमोनियम, की-बोर्ड तबला, ढोलक/नाल, तानपुरा, हैमर

(ii) विभिन्न नृत्य रूपों और रंगमचीय रूपों में प्रयुक्त वस्त्रसज्जा, आभूषण

(iii) हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त वाद्ययंत्र जैसेकि सितार, वीणा, मृदंगम/पखावज

(iv) क्षेत्रीय संगीत वाद्य यंत्र

(v) श्रृंगार सामग्री

(vi) वस्त्रसज्जा वार्ड

(vii) संगीत वाद्ययंत्रों के भंडारण के लिए शोकेस

(viii) गलीचे, दरियां

(ख) अध्यापन तथा अधिगम सामग्री/सहायक सामग्री

इस कार्यक्रम मे नियोजित बहुविध क्रियाकलापों के लिए गुणवत्ता और मात्रा--दोनों दृष्टियों से उपकरण तथा सामग्री उपयुक्त और पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें निम्न शामिल होने चाहिए:

कला के विभिन्न क्षेत्रों में विधियों में सीडी तथा डीवीडी का संग्रह, क्रियाविधियों और विधियों पर वृत्तचित्र, कला शिक्षा किट, माडल, खेल सामग्री, कला विषयों पर पुस्तकें, कठपुतलियां, फोटोग्राफ, ब्लोअप, चार्ट, फ्लैश कार्ड, हैंडबुक, तस्वीरें, बच्चों की सचित्र प्रस्तुति।

(ग) श्रृव्य-दृश्य उपकरण

प्रक्षेपण और अनुलिपीकरण के लिए हार्डवेयर तथा शैक्षिक साफ्टवेयर सुविधाएं जिनमें टीवी, डीवीडी प्लेयर, स्लाइड प्रोजेक्टर, खाली श्रृव्य-दृश्य कैसेट, दृश्य-श्रृव्य टेप, स्लाइडें, फिल्में, चार्ट, तस्वीरें, राट (केवल प्राप्ति टर्मिनल) तथा सिट (उपग्रह अंतर्संबंध टर्मिनल) वांछनीय होंगे, माइक्रोफोन, हेडफोन।

(घ) पुस्तकें, पत्रिकाएं और मैगजीन

संस्थान की स्थापना के पहले वर्ष के दौरान संगत विषयों पर कम से कम एक हजार पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद प्रति वर्ष सौ उत्तम पुस्तकें जोड़ी जानी चाहिए। पुस्तकों के संग्रह में ये शामिल होने चाहिए: बच्चों के विश्वकोश, कोश और संदर्भ पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा पर पुस्तकें, अध्यापकों की हैंडबुक, कामिको, कथाओं, सचित्र पुस्तकों/एल्बमों सहित बच्चों पर और उनके लिए पुस्तकें तथा कविताएं। संस्थान कम से

कम तीन पत्रिकाएं मंगाएगा जिसमें कम से कम एक पत्रिका कला शिक्षा पर होगी।

(ड.) खेल और खेलकूद

सामान्य इंडोर तथा आउटडोर खेलों के लिए खेलकूद उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

7 **(क) प्रबंधन समिति**

संस्थान में संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार यदि कोई हो तो एक प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ऐसे किसी नियम की गैर-मौजूदगी में प्रायोजन करने वाली सोसायटी स्वयं अपनी ओर से प्रबंधन समिति का गठन करेगी। इस समिति में प्रबंधन सोसायटी/न्यास, शिक्षाविदों, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा विशेषज्ञों के प्रतिनिधि तथा स्टाफ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(ख) सामान्य

यदि एक ही संस्थान द्वारा एक ही इमारत में अध्यापक शिक्षा में एक या एक से अधिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो बहुद्देशीय हाल, खेल के मैदान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला (पुस्तकों तथा उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि सहित) और शिक्षणात्मक स्थान की सुविधाओं का प्रयोग साझे रूप में किया जा सकता है। समूचे संस्थान के लिए एक प्रिंसीपल तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए एक अध्यक्ष होगा।

1091